प्रेरणा विचार

RNI No. : UPHIN/2023/84344 ₹ : 30/-

मासिक

श्रावण-भाद्रपद, विक्रम संवत् 2083 (अगस्त-2026)

पृष्ठ-36, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

स्वतंत्रता संग्राम संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका

अगस्त 2026

श्रावण–भाद्रपद

रवि	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि
30 कृ.द्वितीया	31 कृ.तृतीया					1 कृ.तृतीया
2 कृ.चतुर्थी	3 कृ.पंचमी	4 कृ.षष्ठी	5 कृ.सप्तमी	6 कृ.अष्टमी	7 कृ.नवमी	8 कृ.दशमी
9 कृ.एकादशी	10 कृ.द्वादशी /त्रयोदशी	11 कृ.चतुर्दशी	12 श्रावण अमावस्या	13 श्रावण शु.प्रतिपदा	14 शु.द्वितीया	15 शु.तृतीया
16 शु.चतुर्थी	17 शु.पंचमी	18 शु.षष्ठी	19 शु.सप्तमी	20 शु.अष्टमी	21 शु.नवमी	22 शु.दशमी
23 शु.एकादशी	24 शु.द्वादशी	25 शु.द्वादशी	26 शु.त्रयोदशी	27 शु.चतुर्दशी	28 श्रावण पूर्णिमा	29 भाद्रपद कृ.प्रतिपदा

अगस्त 2026 – व्रत त्यौहार

तिथि	वार	व्रत त्यौहार
01	शनिवार	जयापार्वती व्रत समाप्त
02	रविवार	गजानन संकष्टी
09	रविवार	कामिका एकादशी
10	सोमवार	सोम प्रदोष व्रत
12	बुधवार	सूर्य ग्रहण *पूर्ण, दर्श अमावस्या, अन्वाधान, श्रावण अमावस्या
13	बृहस्पतिवार	इष्टि
14	शुक्रवार	चन्द्र दर्शन
15	शनिवार	हरियाली तीज
17	सोमवार	नाग पञ्चमी, सिंह संक्रान्ति
18	मंगलवार	कल्कि जयन्ती
23	रविवार	श्रावण पुत्रदा एकादशी
24	सोमवार	वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी
25	मंगलवार	भौम प्रदोष व्रत
27	बृहस्पतिवार	अन्वाधान
28	शुक्रवार	वरलक्ष्मी व्रत, रक्षा बन्धन, राखी, गायत्री जयन्ती, चन्द्र ग्रहण *आंशिक, श्रावण पूर्णिमा, इष्टि

प्रेरणा विचार

वर्ष -4, अंक - 08

RNI No. UPHIN/2023/84344

संरक्षक
अनिल त्यागी

प्रबंध निदेशक
बिजेन्द्र कुमार गुप्ता

सलाहकार मंडल
श्याम किशोर

संपादक
डॉ. मनमोहन सिंह शिशौदिया

कार्यकारी संपादक
डॉ. प्रियंका सिंह

प्रबन्ध संपादक
मोनिका चौहान

अध्यक्ष प्रीति दादू की ओर से मुद्रक/प्रकाशक डॉ. अनिल त्यागी द्वारा चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा से मुद्रित तथा प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62 नोएडा, गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास
प्रेरणा भवन, सी-56/20, सेक्टर-62,
नोएडा - 201309
दूरभाष : 0120 4565851
मोबाइल : 9354133708,9354133754
ईमेल : prernavichar@gmail.com
वेबसाइट : www.prernasamvad.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। संपादक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का निपटारा नोएडा की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों/फोरम में मान्य होगा।

संपादक

इस अंक में

भारत की स्वतंत्रोत्तर प्रगति 08

ग्लोबल वार्मिंग से तीन गुणा ज्यादा तपेगी दुनिया 18

त्रिभाषा सूत्र
एक भारत, श्रेष्ठ भारत 24

- स्वतंत्रता संग्राम और बाद संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका........................05
- विरासत पर आधारित खाली कुर्सी...10
- नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर की जरूरत..12
- ओक वृक्षों पर बढ़ता संकट वैश्विक पारिस्थितिक चेतावनी.....................14
- निर्मल्य कलश : आस्था का सम्मान, संस्कृति का संरक्षण और पर्यावरण का संवर्धन..16
- वर्तमान समय में शास्त्रार्थ की अपरिहार्यता..20
- जनरेशन Z : अपनी ऊर्जा को भारत के निर्माण में लगाओ.......................22
- युवाओं में घटती मानसिक सहनशीलता 26
- लोकगीतों की प्रासंगिकता 28
- झूला तो पड़ गए, आंबुआ की डार पे जी...30
- प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा 32
- विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका.................................34

संपादकीय..........................

भारतीयता का पथ

स्वतंत्रता, विकास और सांस्कृतिक मूल्यों का संगम

भारत की राष्ट्रीय चेतना केवल स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर गतिशील यात्रा है, जिसमें संघर्ष, समर्पण, विकास और सामाजिक समरसता समान रूप से महत्वपूर्ण आयाम हैं। स्वतंत्रता का अमृतकाल हमें केवल अतीत के गौरव को स्मरण करने का अवसर नहीं देता, बल्कि वर्तमान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प भी प्रदान करता है।भारत का स्वतंत्रता संग्राम त्याग, तप, संगठन और जनशक्ति का अद्वितीय उदाहरण रहा है। इस राष्ट्रीय जागरण में असंख्य ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्वों ने अपने समर्पण से स्वतंत्रता की उस नींव को सुदृढ़ किया, जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की उल्लेखनीय यात्रा तय की है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अवसंरचना, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, रक्षा तथा वैश्विक कूटनीति जैसे क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियाँ भारत के आत्मविश्वास और सामर्थ्य का प्रमाण हैं। आज 'विकसित भारत' का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति का नहीं, बल्कि समावेशी, आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित एवं मानवीय मूल्यों से युक्त राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है।

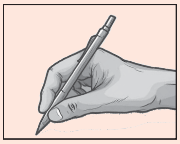

राष्ट्रीय जागरण में असंख्य ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्वों ने अपने समर्पण से स्वतंत्रता की उस नींव को सुदृढ़ किया, जिस पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए विकास की उल्लेखनीय यात्रा तय की है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, अवसंरचना, कृषि, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, रक्षा तथा वैश्विक कूटनीति जैसे क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियाँ भारत के आत्मविश्वास और सामर्थ्य का प्रमाण हैं। आज 'विकसित भारत' का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति का नहीं, बल्कि समावेशी, आत्मनिर्भर, नवाचार-आधारित एवं मानवीय मूल्यों से युक्त राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है।

भारतीय संस्कृति का मूल स्वर समरसता, सहअस्तित्व और पारस्परिक सम्मान में निहित है। रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यह केवल भाई-बहन के स्नेह का उत्सव नहीं, बल्कि विश्वास, संरक्षण, उत्तरदायित्व और सामाजिक एकात्मता का भी संदेश देता है। आज जब समाज विविधताओं से परिपूर्ण है, तब सामाजिक समरसता ही वह शक्ति है जो भिन्नताओं को विभाजन नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक पहचान का आधार बनाती है। समरस समाज ही सशक्त राष्ट्र की वास्तविक पहचान है।

आज की युवा पीढ़ी केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक आत्मा की संवाहक भी है। इसलिए उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी इस ऐतिहासिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझे तथा उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। आधुनिकता, वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति के इस युग में यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि विकास की गति के साथ हमारी नैतिकता, सांस्कृतिक चेतना और मानवीय मूल्य क्षीण न होने पाएं। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसके जीवन-मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों, सामाजिक समरसता, लोक परंपराओं और राष्ट्रीय चेतना में निहित है। यदि नई पीढ़ी इन मूल्यों को आत्मसात कर उनका संरक्षण एवं संवर्धन करेगी, तभी हम अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण कर सकेंगे, जो केवल आर्थिक रूप से समृद्ध ही नहीं, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विश्व का पथप्रदर्शक बने।

स्वतंत्रता संग्राम और बाद संघ के स्वयंसेवकों की भूमिका

नरेन्द्र भदौरिया
वरिष्ठ पत्रकार

भारत में स्वातन्त्र्य आन्दोलन में आर. एस .एस. यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे क्यों नहीं कूदा। यह पूछने वाले इस संग्राम के बारे में बहुत सी जटिल बातों को या तो छिपाते हैं या फिर जानते ही नहीं। स्वतन्त्रता के आन्दोलन के स्वरूप को गाँधी ने 1915 में आते ही अपने हाथों में लेकर बिल्कुल बदल दिया था। इसे क्रमानुसार समझना चाहिए। संघ पर सवाल दागने वाले सचाई सुनने से बचते हैं। आन्दोलन की अगुवाई करने वालों की रणनीति पर मौन रह जाते हैं।

पहली महत्वपूर्ण घटना : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक नागपुर में ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने पेश किया था। हेडगेवार नागपुर अधिवेशन के मुख्य आयोजक प्राण पुरुष भी थे। जो पिछले कई अधिवेशनों में भी रहे थे। जिन्होंने बाद में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। डॉ. हेडगेवार का यह प्रस्ताव भारत को ब्रिटिश सरकार से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कराने की मांग का था।

इस प्रस्ताव पर लम्बी बहस हुई थी। उसी वर्ष 01 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो चुका था। इसलिए लाला लाजपत राय और बिपिन चन्द्र पाल ने डॉ. हेडगेवार को आगे करके यह प्रस्ताव प्रस्तुत कराया था। प्रस्ताव के पक्ष में कहा था कि पूर्ण स्वराज्य हर भारतवासी का सपना ही नहीं अधिकार है। वहां उपस्थित प्रायः सभी प्रतिनिधि इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। मोहन दास गांधी इस अधिवेशन में उपस्थित थे। वह अपनी बात कहने उठे। उन्होंने इस प्रस्ताव में संशोधन करने की बात कही। उनका कहना था कि भारत को स्वराज्य की बात में पूर्ण आजादी का भाव निहित हैं। गांधी ने तत्काल पूर्ण स्वराज्य की बात काटते हुए संशोधन की बात कही थी। उनके कहने पर देश बन्धु चितरंजन दास ने वैध साधनों से आन्दोलन करके स्वराज्य की मांग का संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। अन्ततः डॉ. हेडगेवार के प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ परिवर्तित करते हुए पास किया गया कि अभी पूर्ण स्वराज्य नहीं अपितु वैध तरीकों से स्वराज्य पाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस तरह डॉ. हेडगेवार का मूल प्रस्ताव संशोधित कर दिया गया। ऐसा बदलाव गांधी के हठ के चलते हुआ था। जिसे उस समय सभी ने समझते हुए भी मान लिया था।

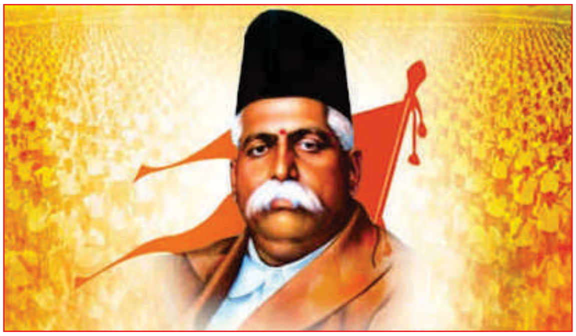

इसी अधिवेशन में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने भारत में गोवंश की हत्या किये जाने पर पूर्ण पाबन्दी लगाने सम्बन्धी दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया था। जिसे गाँधी और उनके समर्थकों ने उस समय टाल देने की बात कहते हुए जोर देकर रोक दिया था। गांधी का तर्क था कि गोवध बन्दी होनी चाहिए पर स्वतंत्रता की जंग पूरी होने पर हम आजाद होकर इस पर मुसलमानों के बीच सम्मति बनाकर कदम उठाएंगे।

गाँधी की स्वदेश वापसी : गाँधी 09 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गाँधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने और स्वामी श्रद्धानन्द ने गांधी को दक्षिण अफ्रीका में कई बार आर्थिक मदद भेजी थी। इन दोनों की सहायता के बल पर गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम शुरू किया था। आश्रम का उद्देश्य वहां रह रहे भारतीयों को सहायता देकर एकजुट करना था। गाँधी जी लम्बे समय से दक्षिण अफ्रीका में स्ट्रगल करते रहे। गाँधी का इरादा मुख्य रूप से वहां पाँव जमाना था। ताकि भारतीय समुदाय को दक्षिण अफ्रीका के गोरे अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध लामबन्द किया जा सके। ताकि ऐसी संगठित शक्ति से रंगभेद के आधार पर भारतीयों और अफ्रीकी काले लोगों को उत्पीड़न से बचाया जा सके। सामाजिक न्याय दिलाने का यह उद्देश्य था तो बहुत बड़ा। पर वहां के क्रूर सरकारी तन्त्र के सामने गांधी पाँव नहीं जमा सके। वस्तुतः गाँधी दक्षिण अफ्रीका में अपने उद्देश्य में आंशिक सफलता पाने में भी असफल ही रहे थे।

सुदूर देश की कठिन परिस्थिति में उत्पीड़न सहते भारतीय और स्थानीय काले लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि गाँधी ऐसा कोई जादू कर सकते हैं कि सरकारी तंत्र उन पर डण्डे बरसाना बन्द कर दे। हालात वास्तव में जटिल थे । गाँधी बार बार विफल होते रहे। वहां का सरकारी तंत्र काले लोगों को क्रूरता से दबा देता। संगठित शक्ति की बात उभरने ही नहीं पायी। ऐसी नाकामी से गाँधी इतने चिड़चिड़े हो गये थे कि उनकी वकालत भी फेल हो गयीं। आर्थिक तंगी से अपनी पत्नी कस्तूरबा से उनके रिश्ते असहज हो गये थे । स्थानीय लोगों के सामने हाथ फैलाने से कुछ होने वाला नहीं था। तब भारत लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।

गाँधी जी भारत में अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सहायता से भारत लौट पाये थे। तब गाँधी ने तय किया कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में सम्मिलित होकर काम करेंगे। गाँधी का सौभाग्य था कि कांग्रेस के उस समय के नेताओं ने उनको नेता मानना स्वीकार कर लिया था। गाँधी को दक्षिण अफ्रीका से लौटा कर भारत में लोकप्रिय बनाने की गोपाल कृष्ण गोखले की योजना सफल रही थी। उन्हें देश में घुमाने का लाभ हुआ।

गाँधी ने गोखले को दूर कर दिया : भारत की जनता गांधी को चमत्कारी नेता मानने लगी थी। गाँधी की स्वदेश वापसी की 09 जनवरी की तिथि को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में तभी मनाने की बात तय हुई थी। फिर तो कांग्रेस ने इसे परम्परा बना दिया। जिन गोपाल कृष्ण गोखले ने गाँधी जी को अफ्रीका की उलझन भरी जिन्दगी से मुक्ति दिलाकर भारत बुलाकर महान नेता बनाया उन्हीं से बाद में गाँधी ने यह कहकर दूरी बना ली थी कि गोखले के रास्ते पर चलकर भारत को स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। गोपाल कृष्ण गोखले तब गाँधी के व्यवहार से बहुत व्यथित और कुंघित हुए थे जब गांधी ने सार्वजनिक रूप से यह कह कर गोखले से पीछा छुड़ाया था कि गोखले तो ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोगी बनकर स्वराज की बात करते हैं। इस वक्तव्य से गोखले के अस्तित्व को सीधी ठेस लगी थी।

> **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 में 26 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक नागपुर में ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने पेश किया था। हेडगेवार नागपुर अधिवेशन के मुख्य आयोजक प्राण पुरुष भी थे। जो पिछले कई अधिवेशनों में भी रहे थे। जिन्होंने बाद में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी।**

बाल लाल पाल का गरम दल : गाँधी जब भारत लौटे तो उस समय कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा था जिसके नेता बाल गंगाधर तिलक थे। इसे कांग्रेस के भीतर गरम दल अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने वाले समूह के रूप में जाना जाता था। तिलक जी के साथ इस समूह में बिपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय मुख्य थे। वस्तुतः यही समूह उस समय देश में कांग्रेस की मुख्य पहिचान था। महर्षि अरविन्द घोष भी बाल- लाल- पाल के नेतृत्व को वास्तविक कांग्रेस मानते थे।

गाँधी ने बड़ी चतुराई दिखायी : मोहन दास गांधी ने इसी मोड़ पर बड़ी चतुराई दिखायी। उन्होंने बाल लाल पाल की गरम खेमे की कांग्रेसी राजनीति से अलग राह पकडी। गाँधी ने कहा कि हम भारत के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। हमारी नीति अहिंसक होगी। हिन्दू मुसलमान सिख और ईसाई सब हमारे साथी बनेंगे। किसानों मजदूरों को साथ लेकर चलेंगे। भारत भ्रमण पर निकले गाँधी हर वर्ग ने नेता बन गये।

क्रान्तिकारी समूहों से दूरी : एक और बड़ी बात यह कि बंगाल से प्रारम्भ हुए क्रान्तिकारी समूह देश भर में अपनी पहिचान बना चुके थे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, सरदार बल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी मानते थे कि भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रबल बनाना है तो ऐसे क्रान्तिवीरों के समूहों को साथ लेकर चलने की रीति ठीक रहेगी। पर गाँधी की सर्वस्पर्शी नीति से क्रान्तिकारी समूहों को नकार दिया गया। गाँधी ने कहा कि वह किसी क्रान्तिकारी को कभी समर्थन नहीं देंगे। उस समय के यूरोपीय खास कर ब्रिटिश अखबारों में इसके लिए गाँधी की खुलकर प्रशंसा की गयी।आगे चलकर गाँधी ने क्रान्तिकारी समूहों पर ब्रिटिश सरकार और पुलिस की कड़ी कार्रवाईयों की कभी निन्दा तक नहीं की। सरदार भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को गलत ढंग से फांसी की सजा सही सबूतों के बिना सुनायी गयी। नियत तिथि से एक दिन पहले शाम को टांग दिया गया । फिर तीनों शवों को काट कर टुकड़े किये गये। उन्हें बिना जलाये फेंक दिया गया। पूरा देश गुस्से में था। तो भी गाँधी एक शब्द नहीं बोले।

गाँधी के समर्थक कहते हैं कि गांधी की यह समझदारी थी अन्यथा स्वतन्त्रता का श्रेय बांटना पड़ता। गाँधी ने देश को क्रान्ति के बल पर स्वतन्त्र कराने वालों को आते ही तगड़ा झटका दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम भारत को हिंसा की राह पर नहीं झोंकने देंगे। ऐसे किसी प्रयास को कांग्रेस पार्टी का तनिक भी समर्थन नहीं रहेगा । इस नीति से गाँधी को ब्रिटिश सरकार के भीतर एक अच्छे आदमी की ख्याति मिली। गाँधी को आगे करके कांग्रेस चल पड़ी। गाँधी आगे और पूरा देश उनके पीछे, यह छवि बनने से गाँधी बहुत खुश थे ।

गाँधी को नेहरू जैसा साथी मिला : देश व्यापी नेता बनने पर गाँधी की सबसे कड़ी आलोचना जिन्ना के मुख से नित्य सुननी पड़ती थी। गाँधी मुस्लिम समाज को दुलराते पर मुहम्मद अली जिन्ना उनकी खाल नोचता रहता। उनको छद्म हिन्दू नेता कहता। गाँधी को इस मोड़ पर पहुँच कर एक ऐसा निकटस्थ नेता चाहिए था जो उनका पक्का

अनुयायी, सच्चा उत्तराधिकारी बन कर देश संभाल सकें। यह सौभाग्य जवाहर लाल नेहरू के लिए आरक्षित करने में गांधी तनिक भी टस से मस नहीं हुए। बात यह थी नेहरू बड़े बाप के बेटे होने के साथ अंग्रेजी हुक्कमरानों के साथ बैठते उठते थे। इस तरह आजादी की जंग में नेहरू उनके लिए बड़े काम के सिद्ध होते रहे।

नेहरू के प्रति गाँधी का मोह : गाँधी ने नेहरू को अपना सीधा उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अपने सत्य के व्रत को छोड़ दिया। पहले सुभाष चन्द्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटवाया और नेहरू को यह पद दिलाने का हठ किया। पर उस समय राजेन्द्र प्रसाद को यह पद देना पड़ा। फिर तो तीन बार गाँधी की जिद पर नेहरू अध्यक्ष बने। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होने पर भी पीछे हटने को कह कर पूरे देश को गाँधी ने धक्का देकर चौंका दिया था। इन्दिरा और फिरोज खान की शादी कराने को वह बेसब्री से आगे हो गये। फिरोज और इन्दिरा को गाँधी ने अपने वंश की सीधी पहिचान दे डाली।

नेहरू पर गांधी ने स्वयं के साथ कांग्रेस और देश को न्योछावर कर दिया। यह गाँधी की विवशता थी या कि कोई और गुप्त योजना के चलते वह किसी के चंगुल में फंसते चले गये इस पर शोध बाकी है।

डॉक्टर हेडगेवार से भी दूरी : आर. एस .एस. की स्थापना से पहले डॉक्टर हेडगेवार गाँधी से 1930 में दो बार मिले। उनसे कहा कि स्वतन्त्रता अब निकट है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वराज्य मिलने पर भारत किस रास्ते पर चलेगा। डॉ. हेडगेवार ने उनसे कहा कि भारत आदि काल से सनातन संस्कृति का घर है। भारतीय समाज की यही प्राण शक्ति है। यही राह उत्तम रहेगी। इस पर गाँधी जी ने कहा- इसकी फिक्र व्यर्थ है।जिसके हाथ सत्ता आएगी वह रास्ता बना लेगा। गाँधी जी के इस कथन में क्या भारत की दुर्दशा का संकेत नहीं मिलता है। स्वतन्त्रता ही खण्डित कर दी गयी। देश को हिन्दु मुस्लिम में बाँटने के जिन्ना के हठ का साथ ब्रिटिश रणनीतिकारों और जवाहर लाल नेहरू ने दिया। रही कसर स्वयं गाँधी ने तीन करोड़ 20 लाख मुसलमानों को भारत में रोक कर पूरी कर डाली। नेहरू ऐसे प्रशासक निकले कि पाकिस्तान ने 80 हजार और चीन ने लगभग 70 हजार वर्ग किमी भूक्षेत्र हड़प लिया। कम्युनिस्टों को गोद में बिठाकर शासन चलाया। देश भारतीय संस्कृति से दूर चला गया। यह थी गाँधी की अदूरदर्शिता और नेहरू का बौनापन।

> **गाँधी जब भारत लौटे तो उस समय कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा था जिसके नेता बाल गंगाधर तिलक थे। इसे कांग्रेस के भीतर गरम दल अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाने वाले समूह के रूप में जाना जाता था। तिलक जी के साथ इस समूह में बिपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय मुख्य थे। वस्तुतः यही समूह उस समय देश में कांग्रेस की मुख्य पहिचान था। महर्षि अरविन्द घोष भी बाल- लाल- पाल के नेतृत्व को वास्तविक कांग्रेस मानते थे।**

डॉ. हेडगेवार की दूरदर्शिता : फटेहाल बनकर भारत के मर्म को दुनिया को समझाने का गाँधी का प्रयास सर्वथा विच्छिन्न था। गाँधी आत्म मुग्ध रहकर देख रहे थे कि संसार उन्हें सच्चा अहिंसक और दार्शनिक नेता मान ले। भारत माता के तन को चीर डाला गया। संघ की स्थापना यदि हेडगेवार ने 1925 में समय रहते नहीं की होती तो आज जितने हिन्दू भारत में दिखते हैं वह भी नहीं बचते। पाकिस्तान जितना बांटकर दिया गया उससे दोगुना भूमि गाँधी के अयोग्य शिष्य नेहरू ने जिन्ना को हड़प लेने दी। चीन की कपटी नीति को वह नहीं समझ सके। हर मोर्चे पर नेहरू विफल रहे। सरदार पटेल की तुलना में नेहरू तुच्छ सिद्ध हुए।

विभाजन के समय एक तरफा नर संहार होता रहा, न तो पुलिस कहीं खड़ी थी और न ही हिन्दू समाज को पहले से मुस्लिम नेताओं के डायरेक्ट एक्शन की योजना से निपटने को तैयार किया गया था । मुस्लिम हिन्दुओं पर सीधे हमले कर रहे थे तो गाँधी कह रहे थे कि हिन्दुओं तुम अहिंसक बने रहो। तुम्हारा रक्त देखकर उन्हें दया आएगी। गाँधी विफल रहे। देश में चतुर्दिक बिन्दुओं के बचाव में यदि कोई खड़ा दिखायी दिया तो वह संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवक थे। जो कहीं घायलों बच्चों बूढ़ों को ढोते रहे तो कहीं बचाकर निकालने में जुटे रहे। नेहरू सरकार तो यह भी नहीं बता सकी कि कितने हिन्दुओं का एकतरफा संहार किया गया।

संघ ने स्वयंसेवकों को देश की आजादी के आन्दोलन में भाग लेने से संघ ने कभी नहीं रोका। डाक्टर हेडगेवार बालपन से स्वातन्त्र्य संग्राम में स्वेच्छा से भाग लेते रहे। विद्यार्थी रहते भाग लिया तो स्कूल से निकाले गये। स्वयं दो बार जेल में एक बर्ष और नौ महीनों की सश्रम सजा काटी। कांग्रेस आज भी यह दर्शाती है कि स्वतन्त्रता गाँधी नेहरू की देन है। सही बात किसी से छिपी नहीं है कि नेहरू तो ब्रिटिश सत्ता के इशारे पर चलते हुए भारत की चिन्तन धारा के विपरीत भाव में बहते रहे। नेहरू का बौनापन भारत के लिए अभिशाप बन गया।

गाँधी को आत्म मुग्धता के रोग ने कहीं का नहीं छोड़ा। इतिहास स्वयं बता रहा है कि गाँधी के सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा के सारे प्रयोग विफल रहे। उन्हीं की अदूरदर्शिता की देन हैं भारत के 23 करोड़ मुस्लिम, भारत में वह सिसकियां जो विभाजन के बाद भी हिन्दुओं को बार-बार रुलाती हैं। देश तब तोड़ा गया और कांग्रेस सत्ता पाकर भी तोड़ती और लूटती रही। संघ के 100 वर्ष स्वयंसेवकों के अथक परिश्रम की कहानी कहते हैं। संघ है तो देश के स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प जीवित और जाग्रत है।

भारत की स्वतंत्रोत्तर प्रगति

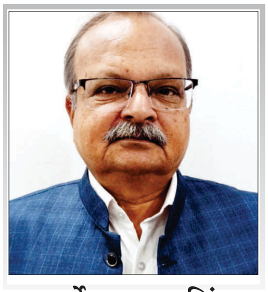

सर्वेश कुमार सिंह
स्वतंत्र पत्रकार, लखनऊ

भारत को स्वतंत्रता अत्यधिक संघर्षों, त्याग और बलिदानों से मिली। लेकिन भारत विभाजन की विभीषिका के अपार कष्ट के साथ स्वतंत्र हुआ था। विभाजन के दंश से देश उबर भी नहीं पाया था, कि पड़ोसी देश ने कश्मीर में आक्रमण कर दिया था। इन परिस्थितियों से भी भारत का मनोबल डिगा नहीं। सशक्त और सबल राष्ट्र बनने की इच्छाशक्ति कमजोर नहीं हुई। भारत ने विकास के दूरगामी लक्ष्य तय किए और उज्जवल भविष्य के सपने देखे। जब हम स्वतंत्र हुए खाद्यान्न का गंभीर संकट था। गेहूं अमेरिका से मंगाना पड़ता था। वह भी घटिया गेहूं भेजता था। पीएल 480 नाम की योजना में हमें लाल गेहूं मिलता था, जिसे अमेरिका में पशुओं के उपयोग में लाया जाता था।

कृषि प्रगति : भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, खाद्यान्न संकट से उबरना। सबको दो समय के भोजन की व्यवस्था करना। इस जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य का किसानों ने मेहनत करके और कृषि वैज्ञानिकों ने नई तकनीक, नई किस्में खोज कर खाद्यान्न की उपज में बढ़ोत्तरी करके सामना किया।इसमें कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन के योगदान को स्मरण करना आवश्यक है। स्वामीनाथन ने भारत में गेहूं की अधिक उपज और लंबाई में छोटे पौधे वाली किस्म की खोज की। रासायनिक उर्वरकों का समुचित प्रयोग किया। इससे उपज बढ़ी।

हम दो दशक बाद गेहूं के आयातक से आत्मनिर्भर हो गए। वर्ष 1980 आते आते निर्यातक भी बन गए। एम एस स्वामीनाथन भारत के प्रथम किसान आयोग के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। हालांकि 70 और 80 के दशक में अत्यधिक यूरिया का उपयोग करने के कारण कुछ लोग एम एस स्वामीनाथन की नीति की आलोचना भी करते है। किंतु हमारा मानना है कि ये उस समय की मांग थी। भूख मिटाना पहली प्राथमिकता थी और इसे स्वामीनाथन ने पूर्ण किया। उनके ही समक्ष बीजी कुरियन को भी याद किया जाता है। इन्होंने भारत में दुग्ध क्रांति की। इस तरह हम देखते हैं कि 1960 से 1980 के दो दशक हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए हैं। वर्ष 1950 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन वार्षिक मात्र 50 मिलियन टन था जो अब 2025 तक 330 मिलियन टन हो गया है। भारत की प्रगति का यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है।

अवसंरचनात्मक प्रगति : स्वतंत्रता के बाद भारत के नीति नियंताओं ने अवसंरचनात्मक ढांचे (Infrastructure) पर ध्यान केंद्रित किया। इसी नीति के आलोक में भारत ने बिजली उत्पादन और सिंचाई सुविधाओं के लिए बांध बनाने शुरू किए। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड जैसे विशाल बांध 1960 और 1970 के दशकों में बने। बाद में रूस के सहयोग से टिहरी बांध 1990 के दशक में पूर्ण हुआ। इनसे भारत को प्रचुर मात्रा में उद्योग, कृषि और घरों को बिजली मिली तो सिंचाई के लिए नहरों से पानी मिला। अवसंरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत ही भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान (AIIMS), भारतीय तकनीकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) स्थापित हुए। आज भारत के दो पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक विद्युत उत्पादन कर रहे है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण ही ये संभव हो सका है।

हरित , सौर और ऊर्जा में आत्मनिर्भर : भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हरित सौर और नाभिकीय ऊर्जा को आधार बनाया है। भारत में 1990 के दशक में ही नाभिकीय ऊर्जा (परमाणु रिएक्टर) से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया था। अब ये और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के लिए विशेष अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है। जिसे पीएम सूर्य घर योजना नाम दिया गया है। हरित ऊर्जा को एथनाल की खोज ने पूरा किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का अगला पड़ाव हाइड्रोजन से निर्मित ऊर्जा है, जो भविष्य का ऊर्जा स्रोत बनने जा रहा है। स्वनिर्मित एथनाल, बिजली और हाइड्रोजन ऊर्जा से भारत की आयातित पेट्रोलियम ऊर्जा पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। बल्कि कुछ वर्षों में शायद ये निर्भरता समाप्त भी हो सकती है। इससे जहां विदेशी मुद्रा

की बचत हो रही है। वहीं हम विश्व राजनीति में बगैर किसी दवाब के फैसले लेने में सक्षम हो रहे हैं।

रक्षा क्षेत्र में प्रगति : स्वतंत्रता के बाद भारत रक्षा उपकरणों का आयातक देश था। हमें रायफल, गोला बारूद, तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज विदेश से मांगने पड़ते थे। वर्ष 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धियां है, उनमें एक ये है कि अब भारत रक्षा उपकरणों का निर्यातक हो गया है। भारत में रायफल बन रही है, टैंक, मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान बन रहे हैं। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर में सफल प्रयोग के बाद ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात कर रहा है। भारत के मित्र राष्ट्र अब ब्रह्मोस के बाद तेजस प्राप्त करने की भी इच्छा व्यक्त कर रहे है। एक समय था जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो बर्फ और पहाड़ों पर पहनने के लिए हमारे सैनिकों पर उपयुक्त वर्दी और जूते नहीं थे। आज सियाचिन और कारगिल जैसी चोटियों पर भारतीय सैनिक समस्त आवश्यक और साज सज्जा युक्त वर्दी के साथ मुस्तैद हैं।

एक जून 2026 को भारत ने स्वदेशी ड्रोन दिव्यास्त्र का परीक्षण किया। इसका परीक्षण राजस्थान के जोधपुर के रेगिस्तान में किया गया। ये ड्रोन स्वदेशी कंपनी होवर इट ने बनाया है। ड्रोन की विशेषता ये है कि ये 500 किमी की दूरी तय करके भी लक्ष्य को भेद सकता है। हाल के वर्षों में हुए युद्धों रूस और यूक्रेन, इसराइल ईरान और भारत पाकिस्तान में ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल हुआ। इसी के मद्देनजर भारत ने ड्रोन उत्पादन बढ़ाया है और इसमें स्वदेशी निजी कंपनियों की भी मदद ली जा रही है।

अगले ही दिन यानि कि दो जून को भारत ने रूद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया। रूद्रम का विकास और निर्माण डीआरडीओ ने किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये दुश्मन के रडार, ट्रैकिंग सिस्टम, संचार टावरों से निकलने वाले सिग्नल को पकड़ कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसका परीक्षण डीआरडीओ ने चांदीपुर रेंज में सुखोई 30 लड़ाकू विमान में लगाकर किया। दुश्मन की रक्षा प्रणाली को अंधा बनाकर यह 350 किमी पर लक्ष्य भेद सकती है। यह प्रगति मोदी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सचेत रहने और आत्मनिर्भर बनने की नीति का परिणाम है। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 8.8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

आर्थिक प्रगति : भारत की स्वतंत्रता के समय विकास दर बहुत कम थी। आज विकास दर 7.7 प्रतिशत है। भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लक्ष्य है कि 2047 तक जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तब तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अर्थव्यवस्था का आकार 5 ट्रिलियन हो जाएगा। मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण ही 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए। प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि प्रदान की गई है। आज गरीब, किसान, मजदूर, महिला सभी के जनधन खाते खुले हुए हैं। इनपर शून्य बैलेंस की सुविधा है। मजबूत

अर्थव्यवस्था और प्रचुर खाद्यान्न की उपलब्धता के कारण ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अन्न उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ई नाम योजना संचालित है। सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से उपज की खरीद कर रही है।

सड़क और रेल यातायात विकास : भारत में एक समय पक्की सड़कों का अभाव था। गांव पहुंचने के लिए सड़क की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही पक्के और डामर के बने थे। आज परिदृश्य एक दम बदल गया है। देश भर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछ गया है। बसों और रेल यातायात से सार्वजनिक परिवहन सुगम हो गया है। डीजल और पेट्रोल के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। रेलवे ने 20वीं सदी के भाप इंजनों से आगे बढ़कर डीजल इंजन फिर 21वीं सदी में इलेक्ट्रिक इंजन और अब हाइड्रोजन इंजन तक यात्रा पूरी कर ली है। भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिसने हाइड्रोजन से रेल चलाई है।

हाइड्रोजन रेल का शुक्रवार 17 जुलाई 2026 एक ऐसा ही पड़ाव है,जिससे विश्व चकित है। विकसित और विकासशील सभी देशों ने इस प्रगति को भारत की इक्कीसवीं सदी की स्वर्णिम यात्रा की आहट के रूप में देखा है। ये है भारत की पहली हाइड्रोजन रेल। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में किया। यूं तो हाइड्रोजन से रेल चलाने का प्रयोग कुछ देशों में अभी हाल के महीनों या एक वर्ष के अंदर हुआ है। लेकिन भारत की हाइड्रोजन रेल इन सबसे भिन्न है। यह हमारी वैज्ञानिक तकनीक और ज्ञान, कल्पनाशीलता का अद्भुत उदाहरण है। अन्य देश सिर्फ दो या तीन यात्री बोगी की रेल ही चला सके हैं। लेकिन भारत के इंजीनियरों ने 10 बोगी की रेल चलाकर इतिहास रच दिया है। इस रेल के इंजन की क्षमता 3200 हॉर्स पावर है। यह दर्शाता है कि भारत की प्रगति रेल की गति की तरह निरंतर बढ़ रही है।

भारत की प्रगति 79 साल के कालखंड की है। इसमें अनेक आपदाएं, युद्ध भी लड़े। लेकिन विकास को दृष्टि से ओझल नहीं होने दिया। गत 12 वर्ष देश के विकास के इतिहास में गौरवशाली गाथा के हैं। वर्ष 2047 तक भारत विश्व सबसे प्रमुख महाशक्तियों में से एक होगा।

विरासत वाली खाली कुर्सी

बालेश्वर गुप्ता
लेखक

घर से सामान के ट्रक में लदते समय मेरे बेटे समीर ने मेरे कमरे में रखी पुरानी कुर्सी को हटा दिया और पैकर्स से कहा कि इसे लादने की जरूरत नही है। मैंने सुना तो मेरी तंद्रा टूटी और मैं अचकचा कर बोला, नहीं-नहीं, इस कुर्सी को भी लेकर चलना है, ये मेरे बाबूजी की कुर्सी है। उनकी याद है, इससे ही तो मैं जीने की प्रेरणा लेता हूँ, समीर इस कुर्सी को हम नही छोड़ सकते। अनमना सा होकर समीर चुप कर गया। असल मे उस कुर्सी का मेरे जीवन मे क्या महत्व है, उसे तो कभी मेरी पत्नी भी नही समझ पायी, तो भला समीर क्या समझता?

उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो, मुझे कोई उपाय ही नही सूझ रहा था, क्या करूँ? मेरा बेटा समीर हमें अपने साथ ले जाना चाहता था, उसका कहना था कि पापा जब मम्मी अवसाद ग्रस्त हैं और अकेलेपन की शिकार हैं तो अब उन्हें हमारे पास रहना चाहिये, बड़े शहर में इलाज भी अच्छा होगा और मम्मी का अकेलापन भी दूर होगा, जबकि अब मैं पूरी तरह से आपकी देखभाल और सेवा करने में समर्थ हूँ। आपको मेरे साथ चलना ही होगा।

यह प्रस्ताव मान लेना इतना आसान नही था, आखिर अपने जन्म स्थल और कर्मभूमि से लगाव को मेरा बेटा नही समझ सकता था। पत्नी की ओर देखता तो समीर का प्रस्ताव उचित प्रतीत होता, अपनी सोचता तो लगता इतनी जल्दी रिटायर होकर अपनी कर्मस्थली को छोड़ना रास नही आ रहा था। घोर असमंजसता की स्थिति में मैं बाबूजी की कुर्सी पर उन्हें याद करते हुए जा बैठा, जहाँ मैं कभी नही बैठता था। अनजाने में उस कुर्सी पर बैठ मेरी आँखों मे आंसू आ गये, बरबस ही मेरे मुंह से निकल पड़ा बाबूजी आप क्यूँ हमें अकेला छोड़ चले गये? तभी मानो आवाज आयी, अरे मुन्ना मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यही तेरे सामने ही तो रहता हूं, यही बैठे तुझे निहारता रहता हूँ, तू ही आज मेरी गोदी में आकर बैठा है। मेरे बच्चे

दु:खी मत हो जा समीर के साथ, उसे भी तो तेरी जरूरत है, बहू को उसकी जरूरत है। जा बेटा जा। मेरी तंद्रा टूटी तो वहां भला कौन होता, कौन उस आकाशवाणी को समझ सकता था। बाबूजी ने मुझे मार्गदर्शन दे दिया था। मैंने समीर को उसके साथ चलने की सहमति दे दी। वह पूरे उत्साह से चलने की तैयारी में व्यस्त हो गया।

समीर के पास बैंगलोर आये, तीन वर्ष बीत गये, इस बीच मेरी पत्नी का स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया, मैं एक सामाजिक संगठन से जुड़ गया। इस प्रकार दिनचर्या चलती रही। कभी भी अपने पुराने घर, वहां के साथियों की, वहाँ की अपनी गतिविधियों की याद आती तो मन व्यथित हो जाता तो अब मैं जब किसी भी मानसिक परेशानी से गुजरता तो बाबूजी की गोद मे आंख बंद कर बैठ जाता, हाँ-हाँ, बाबूजी की गोद मे यानि उनकी खाली पड़ी कुर्सी पर। जहाँ बैठकर मुझे सुकून भी मिलता और बाबूजी का अदृश्य मार्गदर्शन भी। बाबूजी मुझे समझा देते मुन्ना ये तेरी नई कर्मभूमि है रे, यही देश के लिये कुछ कर।

> **घोर असमंजसता की स्थिति में मैं बाबूजी की कुर्सी पर उन्हें याद करते हुए जा बैठा, जहाँ मैं कभी नही बैठता था। अनजाने में उस कुर्सी पर बैठ मेरी आँखों मे आंसू आ गये, बरबस ही मेरे मुंह से निकल पड़ा बाबूजी आप क्यूँ हमें अकेला छोड़ चले गये? तभी मानो आवाज आयी, अरे मुन्ना मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यही तेरे सामने ही तो रहता हूं, यहीं बैठे तुझे निहारता रहता हूँ, तू ही आज मेरी गोदी में आकर बैठा है। मेरे बच्चे दु:खी मत हो जा समीर के साथ, उसे भी तो तेरी जरूरत है, बहू को उसकी जरूरत है। जा बेटा जा। मेरी तंद्रा टूटी तो वहां भला कौन होता, कौन उस आकाशवाणी को समझ सकता था। बाबूजी ने मुझे मार्गदर्शन दे दिया था। मैंने समीर को उसके साथ चलने की सहमति दे दी। वह पूरे उत्साह से चलने की तैयारी में व्यस्त हो गया।**

एक दिन मैं बाहर एक मीटिंग में गया था आने में शाम हो गयी, थकान भी महसूस हो रही थी, सो मैं सीधे अपने कमरे में आराम करने के उद्देश्य से चला गया। मैं धक से रह गया बाबूजी की कुर्सी वहां नही थी। मैं बदहवास सा हो गया, चिल्ला कर समीर को आवाज दी, समीर भी भागता हुआ आया, उसे लगा कि पता नही पापा को क्या हो गया। मैंने लगभग चीखते हुए कहा कि बाबूजी की कुर्सी यहां से किसने हटाई और कहां गयी?

हतप्रभ से समीर ने कहा कि पापा वह कुर्सी काफी पुरानी हो गयी थी, यहां अच्छी भी नही लग रही थी, इसलिये मैंने ही उसे कबाड़ी को उठवा दी है। मैंने आपके लिये बिल्कुल मॉडर्न और बहुत ही आरामदायक कुर्सी का आर्डर दे दिया है, दो तीन दिन में ही आ जायेगी। मैं अपना माथा पकड़ कर बैठ गया। कैसे समीर को अपने बाबूजी की कुर्सी से जुड़े जज्बात को बताऊं? कैसे बताऊं वह कुर्सी नही थी, वह मेरे बाबूजी की गोद थी, जिसमे मैं कभी भी बैठ जाता था। मुझे लग रहा था मेरे बाबूजी तब स्वर्ग नही सिधारे थे जब मैंने अपने हाथों से शमशान में उनकी कपालक्रिया की थी, सच मे मुझे लग रहा था मेरे बाबूजी आज स्वर्ग सिधार गये। मेरी समझ नही आ रहा था क्या करूँ? मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी हालत देख समीर घबरा गया, उसे लगा कही पापा को हार्ट अटैक तो नही आ गया, वह तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। मैंने ही मना कर दिया। मैं धीरे से बोला समीर बेटा मेरी बात सुन, देख वह कुर्सी पुरानी जरूर थी, पर मेरे लिये वो खास थी, बेटा वो कुर्सी मेरे बाबूजी की मात्र निशानी ही नही थी, बेटा वो बाबूजी की मेरे लिये गोद थी। असल मे समीर आज मैं अनाथ हो गया।

आश्चर्य से समीर मेरे विलाप को देख रहा था चुपचाप, मैं कुछ समझ पाता कि वह अचानक ही बाहर की ओर दौड़ लिया। मैं उसे आवाज ही देता रह गया, पर वह रुका ही नही। मैं फिर मानसिक तनाव में था, समीर को कही बुरा तो नही लग गया, वह यूँ ही कहाँ चला गया। आज मुझे सांत्वना देने के लिये बाबूजी की गोदी नही थी, वह तो साधारण कुर्सी समझ समीर ने कबाड़ी को दे दी। सोचते सोचते पता नही कब मेरी आँख लग गयी।

घर में कुछ कोलाहल सुन आँख खुल गयी, मैं अपने कमरे से बाहर आकर मामला क्या है, कोलाहल कैसा है, देखने आया तो देखा समीर मेरे बाबूजी की कुर्सी को अपने दोनो हाथों से ऊपर उठाये ला रहा है। उसने वह कुर्सी लाकर मेरे कमरे में पहले वाले स्थान पर ही रख दी। फिर उसने उस कुर्सी को अपनी कमीज से साफ करके मुझसे बोला पापा आप सच कह रहे थे, यह लकड़ी की कुर्सी मात्र नही है, इसमें दादू की आत्मा है, इसमें आपके प्राण है। मैं तो इस भावना को पापा आपकी आंखों में इस कुर्सी के लिये आये आंसुओं को देख आज ही समझ पाया, महसूस कर पाया, तभी तो मैंने उस कबाड़ी को खोज उसकी मनचाही कीमत दे, ले आया। वास्तव में पापा यह कुर्सी नही यह तो हमारे दादू की विरासत है।

अजय सेतिया
वरिष्ठ लेखक

नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट और मुम्बई हाईकोर्ट के दो फैसलों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) बनाने का रास्ता खोला है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की यह दलील मान ली है कि आधार कार्ड, वोटर आईकार्ड और आयकर का पेन कार्ड नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं है। वे नागरिकता के प्रमाण पत्र थे भी नहीं, लेकिन एनार्सी का विरोध करने वाला तबका इन दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण पत्र मान लेने का दबाव बना रहा था। भारतीय संविधान के मुताबिक वोट का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। लेकिन चुनाव आयोग की लापरवाही से कई सालों से इन दस्तावेजों के आधार पर ही वोटर बनाए जा रहे थे। वोटर आधार कार्ड को नागरिकता का विधाई दस्तावेज मान लिया गया था। यह अच्छा ही हुआ कि एडीआर नामक संस्था और विपक्षी दल इन दस्तावेजों को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने की दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब यह तय हो गया है कि जब सारे देश में वोटर लिस्टों का गहन पुनरीक्षण होगा, तो ये तीनों दस्तावेजों के आधार पर वोट नहीं बनेंगे। अगर चुनाव आयोग सख्त रहता है, और सारे देश में वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण हो जाता है, तो आने वाले दिनों में वोटर आई कार्ड नागरिकता का दस्तावेज बन सकता है।

जब से मोदी सरकार ने घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम शुरू की है, तब से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि घुसपैठियों ने रिश्वत दे कर ये दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। एक मामला मुम्बई हाईकोर्ट में सामने आया, जब रिश्वत दे कर बनाए गए दस्तावेजों के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बनाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए बाबू अब्दुल रूफ सरदार को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मुम्बई हाईकोर्ट के जज जस्टिस अमित बोरकर ने कहा ये सब दस्तावेज सिर्फ पहचान का प्रमाण हैं, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के सबूत नहीं हैं।

राष्ट्रव्यापी एनआरसी 1951 की जनगणना के बाद 1951 में ही बनाया गया था। इसके बाद एनआरसी को अपडेट नहीं किया गया। जवाहर लाल नेहरू और उनके बाद की सरकारों को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानना गलत नहीं होगा। इस समय सिर्फ असम में ही ऐसा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य और निगरानी में रखा था। एनआरसी के लिए नोडल एजेंसी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। असम में एनआरसी लागू होने के बाद से, इसके पूरे देश में लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है।

> **पश्चिम बंगाल और असम जैसे कुछ राज्यों में, ऐसी चिंताएं बरकरार हैं कि अवैध घुसपैठ के कारण मूल निवासियों का विस्थापन हो रहा है। एनआरसी को इन चिंताओं का समाधान करने और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के एक उपाय के रूप में भी देखा जा रहा है। अनुमान यह है कि असम की 2.6 करोड़ की आबादी में से लगभग 60 लाख घुसपैठिए हैं, जिससे सामाजिक-राजनीतिक मुश्किलें पैदा हुई हैं।**

अवैध घुसपैठियों के कारण नागरिकता सत्यापन की जरूरत महसूस की जा रही है। गृह मंत्रालय के हलफनामे में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 1964

और 1965 के बीच 4.5 लाख से ज्यादा लोग बिना यात्रा दस्तावेजों के पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। 1946 का विदेशी अधिनियम, अवैध घुसपैठियों को निष्कासित करने का अधिकार देता है। यह कानून अवैध घुसपैठियों का पता लगाने की सरकार की जिम्मेदारी और उन्हें निष्कासित करने की कानूनी जिम्मेदारी को दर्शाता है। अवैध घुसपैठियों के कारण पश्चिमी बंगाल, मणिपुर और असम में हिंसा की घटनाएं और उत्तर भारत के राज्यों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ भारतीय नागरिकों को ही मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए भी एनआरसी की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल और असम जैसे कुछ राज्यों में, ऐसी चिंताएं बरकरार हैं कि अवैध घुसपैठ के कारण मूल निवासियों का विस्थापन हो रहा है। एनआरसी को इन चिंताओं का समाधान करने और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के एक उपाय के रूप में भी देखा जा रहा है। अनुमान यह है कि असम की 2.6 करोड़ की आबादी में से लगभग 60 लाख घुसपैठिए हैं, जिससे सामाजिक-राजनीतिक मुश्किलें पैदा हुई हैं। असम में लगातार घुसपैठ बढ़ने के खिलाफ ही 1978 में छात्र आन्दोलन शुरू हुआ था, जिसके नतीजे में राजीव गांधी ने 1985 में एतिहासिक समझौता हुआ, इस समझौते में 24 मार्च, 1971 के बाद आए अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें अधिकारों से वंचित करने का वादा किया गया था। उसी समझौते के आधार पर असम में नागरिकता रजिस्टर बना।

राष्ट्रव्यापी एनआरसी 1951 की जनगणना के बाद 1951 में ही बनाया गया था। इसके बाद एनआरसी को अपडेट नहीं किया गया। जवाहर लाल नेहरू और उनके बाद की सरकारों को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार मानना गलत नहीं होगा। इस समय सिर्फ असम में ही ऐसा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य और निगरानी में रखा था। एनआरसी के लिए नोडल एजेंसी महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं। असम में एनआरसी लागू होने के बाद से, इसके पूरे देश में लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि 31 अगस्त 2019 तक असम में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद असम और देश में भाजपा सरकारें आ गई और मुसलमानों ने एनआरसी का विरोध करना शुरू कर दिया, उनके समर्थन में विपक्षी दलों ने भी एनआरसी का विरोध शुरू किया हुआ है। असम सरकार ने 31 अगस्त, 2019 को एनआरसी का ड्राफ्ट जारी किया था, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे, जो लगभग सारे ही बांग्लादेशी मुसलमान थे, हालांकि उन्हें अपना नागरिकता साबित करने के लिए चार महीने का समय दिया गया था, वे चाहें तो विदेशी न्यायाधिकरणों और हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें दिखाने पड़ेगा कि उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारतीय नागरिक थे।

इसी बीच दिसंबर 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पास करवा लिया, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना सह रहे हिन्दुओं, सिखों, बोद्धों, ईसाईयों को भारत की नागरिकता देने में प्राथमिकता देने का प्रावधान था। इस कानून में उन देशों के मुसलमानों या भारतीय मुसलमानों के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं थी, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी कह कर प्रचारित किया गया। भारत के मुसलमानों ने नागरिकता संशोधन कानून को मुसलमानों से भेदभाव करने वाला बताकर देश भर में हिंसक आन्दोलन किया, जिसे विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। नागरिकता संशोधन कानून के बाद से देश भर के मुसलमान और विपक्षी दल नागरिकता रजिस्टर का भी विरोध कर रहे हैं, जबकि नागरिकता रजिस्टर के विरोध का कोई आधार नहीं बनता।

विपक्षी दल और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में रह गए मुसलमान स्वधर्मी होने के कारण घुसपैठियों की भी वकालत कर रहे हैं, उनके साथ ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी भी मानवाधिकार के नाम पर अवैध घुसपैठियों की वकालत और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। जिस कारण देश भर में एनआरसी को लागू करना कई चुनौतियों से भरा हो गया है, मोदी सरकार ने देश में एनआरसी लागू करने की मंशा ही नहीं जताई, बल्कि प्रतिबद्धता भी दर्शाई है, लेकिन विरोधों के बावजूद देश को नागरिकता रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एनआरसी का समर्थन करती है, और हाल ही के अपने फैसलों में अदालतों ने आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र मानने से इनकार किया है।

ओक वृक्षों पर बढ़ता संकट

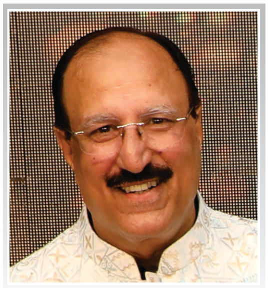

कुमार सिद्धार्थ
वरिष्ठ लेखक

जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट की चर्चा जब भी होती है, तब आमतौर पर ग्लेशियरों के पिघलने, जंगलों की आग, सूखे और बाढ़ जैसे विषय प्रमुखता से सामने आते हैं। किंतु प्रकृति में कुछ संकट ऐसे भी होते हैं जो अचानक नहीं आते, बल्कि वर्षों तक धीरे-धीरे विकसित होते हैं और जब उनके परिणाम स्पष्ट दिखाई देते हैं, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। ओक (बलूत) वृक्षों के सामने खड़ा संकट ऐसी ही एक धीमी लेकिन गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। हाल ही में ब्रिटेन में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट ने इस संकट को नए सिरे से वैश्विक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति अलग-अलग प्रकार के दबावों का सामना कर रही है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी ओक वनों का क्षरण पर्यावरणविदों की चिंता का सबब बना हुआ है।

क्या है ओक वृक्ष? : ओक वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्वेरकस (Quercus) है। यह फैगेसी (Fagaceae) कुल का सदस्य है और विश्वभर में इसकी लगभग 500 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसका व्यापक फैलाव है। भारत में मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में इसकी अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें बांज (Quercus leucotrichophora), तिलौंज, खरसू और मोरू प्रमुख हैं।

ओक वृक्ष अत्यंत दीर्घायु होते हैं। कुछ वृक्ष 300 से 500 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जबकि कई प्राचीन ओक वृक्षों की आयु इससे भी अधिक दर्ज की गई है। अपनी विशाल छत्राकार संरचना, गहरी जड़ों और दीर्घ जीवन के कारण इन्हें अनेक पारिस्थितिक तंत्रों की आधारशिला माना जाता है।

पारिस्थितिकी का प्रहरी : ओक वृक्षों का महत्व केवल उनकी विशालता या सुंदरता तक सीमित नहीं है। इन्हें जैव विविधता का संरक्षक माना जाता है। ब्रिटेन में किए गए अध्ययनों के अनुसार एक ओक वृक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 2,300 से अधिक जीव प्रजातियों को आश्रय देता है। इनमें पक्षी, कीट, कवक, काई, स्तनधारी और सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी ओक वन पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें "जल संरक्षक वृक्ष" कहा जाता है क्योंकि इनकी गहरी जड़ें वर्षा जल को भूमि में संरक्षित करती हैं और झरनों, नालों तथा नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में ओक वन सुरक्षित हैं, वहां जलस्रोत अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बने रहते हैं।

इसके अलावा ओक वृक्ष कार्बन अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक परिपक्व ओक वृक्ष अपने जीवनकाल में बड़ी मात्रा में कार्बन संग्रहीत कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायता मिलती है।

एशियाई देशों में ओक वनों की स्थिति : भारत में ओक मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। किंतु पिछले कुछ दशकों में इन वनों का क्षेत्रफल और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुई हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार ओक वनों के

क्षरण के पीछे कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि और वर्षा चक्र में बदलाव से इनके प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में ओक वनों की जगह चीड़ (पाइन) के जंगल फैल रहे हैं। चीड़ अपेक्षाकृत कम जैव विविधता का समर्थन करती है और जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।

इसके अतिरिक्त ईंधन, चारे और लकड़ी के लिए अत्यधिक दोहन, अनियंत्रित चराई, सड़क निर्माण और शहरी विस्तार भी ओक वनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कई अध्ययनों में यह तथ्य सामने आया है कि पुराने वृक्ष तो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन नए पौधों का प्राकृतिक पुनर्जनन लगातार घट रहा है। यह स्थिति भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है।

नेपाल, भूटान और चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में भी ओक वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दर्ज किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान बढ़ने के कारण कई ओक प्रजातियाँ ऊंचाई की ओर खिसक रही हैं, जिससे उनकी पारिस्थितिक सीमाएं बदल रही हैं।

ब्रिटेन में ओक वृक्ष केवल प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा हैं। इस देश में लगभग 17 करोड़ ओक वृक्ष मौजूद हैं और लगभग 50 हजार प्राचीन ओक वृक्षों का रिकॉर्ड है। शोध रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के ओक वृक्ष कई खतरों का एक साथ सामना कर रहे हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, रोग, कीट आक्रमण, हिरणों द्वारा अत्यधिक चराई, ग्रे गिलहरियों द्वारा छाल को नुकसान पहुंचाना तथा विकास परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश शामिल है।

> **भारत के हिमालयी क्षेत्रों में भी ओक वन पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन्हें "जल संरक्षक वृक्ष" कहा जाता है क्योंकि इनकी गहरी जड़ें वर्षा जल को भूमि में संरक्षित करती हैं और झरनों, नालों तथा नदियों के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जिन क्षेत्रों में ओक वन सुरक्षित हैं, वहां जलस्रोत अपेक्षाकृत अधिक स्थायी बने रहते हैं।**

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या किसी एक कारण की नहीं है, बल्कि अनेक दबावों के संयुक्त प्रभाव की है। यही कारण है कि इसे "धीमी गति से बढ़ती पारिस्थितिक आपदा" कहा जा रहा है। ब्रिटेन में वर्तमान समय का सबसे गंभीर संकट एक्यूट ओक डिक्लाइन (Acute Oak Decline) नामक बीमारी है। यह बैक्टीरिया और एक विशेष बीटल के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होती है। सूखा और पर्यावरणीय तनाव इस बीमारी को और घातक बना देते हैं।

इस रोग से प्रभावित वृक्षों की छाल पर दरारें पड़ जाती हैं और उनसे गहरे रंग का तरल पदार्थ रिसने लगता है। चिंताजनक तथ्य यह है कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने वाले वृक्ष केवल तीन से छह वर्षों के भीतर नष्ट हो सकते हैं। वर्ष 2023 तक इसके लगभग 394 प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी थी। इसके अलावा ओक पाउडरी मिल्ड्यू, ओक प्रोसेशनरी मॉथ, नॉपर गॉल वास्प तथा ओक लेस बग जैसे कीट और रोग भी वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैश्विक व्यापार और जलवायु परिवर्तन के कारण इन खतरों का प्रसार तेज हो रहा है।

संकट केवल वृक्षों का नहीं : विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओक वृक्षों की संख्या में गिरावट जारी रही तो इसका प्रभाव केवल वनों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे हजारों जीव प्रजातियों का आवास प्रभावित होगा, कार्बन भंडारण क्षमता घटेगी, जल चक्र पर असर पड़ेगा और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। ब्रिटेन में ओक वृक्ष लगभग 31 मिलियन टन कार्बन संग्रहीत करते हैं। ऐसे में इनका क्षरण जलवायु संकट को और गंभीर बना सकता है।

संरक्षण की दिशा में क्या किया जाए? : ओक वृक्षों का संरक्षण केवल वन विभागों या वैज्ञानिकों का दायित्व नहीं है। इसके लिए बहुस्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है। रोगों और कीटों की निगरानी, वैज्ञानिक शोध, प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा, नियंत्रित चराई और विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय संवेदनशीलता आवश्यक है।

भारत में सामुदायिक वन प्रबंधन और पारंपरिक संरक्षण प्रणालियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ओक वनों के संरक्षण के कई उदाहरण सामने आए हैं। उनमें हिमालयी क्षेत्रों में पवित्र वन जैसी परंपराएँ ओक संरक्षण का एक उदाहरण हो सकती हैं।

एक वैश्विक चेतावनी : ओक का संकट केवल एक देश की समस्या नहीं है। यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास और मानवीय दबाव मिलकर किस प्रकार प्रकृति की सबसे मजबूत दिखने वाली प्रजातियों को भी कमजोर कर सकते हैं।

यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो ओक वृक्षों के साथ-साथ उनसे जुड़े हजारों जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यह केवल एक वृक्ष की कथा नहीं, बल्कि पृथ्वी की पारिस्थितिक सुरक्षा और मानव सभ्यता के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है।

निर्मल्य कलश

आस्था का सम्मान, संस्कृति का संरक्षण और पर्यावरण का संवर्धन

उमानाथ त्रिपाठी
स्वतंत्र लेखक, समीक्षक एवं रचनाकार

'यत्र धर्मः तत्र जयः।'

संसार में किसी भी सभ्यता की पहचान उसके भव्य भवनों या आधुनिक साधनों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और सांस्कृतिक मूल्यों से होती है।' हमारा सनातन धर्म आदिकाल से निरंतर प्रवाहित होता आया है और आज भी अपनी मूल भावना के साथ अक्षुण्ण है। हमारे ऋषि-मुनियों ने केवल पूजा-पद्धति का ही विधान नहीं स्थापित किया, बल्कि अपने आचरण और तपश्चर्या से आदर्श जीवन-मूल्यों की स्थापना भी की। उन्होंने मानव जीवन को शुचिता, मर्यादा, कर्तव्य और संवेदनशीलता का मार्ग दिखाया। इसी कारण हमारे धर्मग्रंथों में शौच, पवित्रता और संस्कार को धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। जिस प्रकार देवप्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा विधि-विधान से संपन्न होती है, उसी प्रकार उसके जीर्ण अथवा खंडित होने पर सम्मानपूर्वक विसर्जन अथवा निस्तारण का विधान भी हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। धर्म केवल आराधना का संस्कार नहीं देता, बल्कि श्रद्धा से जुड़ी प्रत्येक पूजित वस्तु के प्रति जीवनपर्यंत सम्मान का आचरण भी सिखाता है।

भारतीय संस्कृति में देवमूर्ति केवल पत्थर, धातु अथवा मिट्टी का आकार नहीं मानी जाती, अपितु प्राण-प्रतिष्ठा के उपरान्त वह श्रद्धा और ईश्वर-चेतना का साकार प्रतीक बन जाती है। इसी प्रकार भगवान के चित्र, पूजित ग्रंथ, वस्त्र, चुनरी, ध्वजा, माला तथा अन्य पूजित सामग्री भी हमारी आस्था और भक्ति की संवाहक होती हैं। इसलिए जब वे जीर्ण, अशुद्ध अथवा खंडित हो जाएं, तब उनका सम्मानपूर्वक निस्तारण करना भी उतना ही आवश्यक है, जितना उनका श्रद्धापूर्वक पूजन।

विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रीय ध्वज, धार्मिक प्रतीकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के सम्मानजनक संरक्षण एवं गरिमापूर्ण निस्तारण के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, जिनका नागरिक पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। वे इसे केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि अपना नैतिक एवं सांस्कृतिक कर्तव्य मानते हैं। यही नागरिक चेतना, अनुशासन और सांस्कृतिक सम्मान किसी भी आदर्श राष्ट्र की वास्तविक पहचान होती है।

भारत जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्र में भी पूजित धार्मिक सामग्री के सम्मानपूर्ण निस्तारण की सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित होना समय की आवश्यकता है, किन्तु वर्तमान समय का एक दुःखद दृश्य हमारी संवेदनाओं को झकझोर देता है। अनेक स्थानों पर खंडित देवमूर्तियां कूड़े के ढेरों में, सड़क किनारे, नदी-नालों में, वृक्षों की जड़ों के आसपास अथवा मंदिरों के उपेक्षित कोनों में पड़ी दिखाई देती हैं। यहां तक कि पवित्र नदियों को भी हम प्रदूषित करने से नहीं चूकते, यह दृश्य केवल धार्मिक भावनाओं को ही आहत नहीं करता, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और नागरिक उत्तरदायित्व दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देता है।

विडम्बना यह है कि जिन प्रतिमाओं के समक्ष हमने श्रद्धा से शीश नवाया, उन्हें ही बाद में उपेक्षा के हवाले कर देते हैं। यह कैसी परंपरा है? कैसी सोच है और कैसी श्रद्धा है? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिन पर गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है। श्रद्धा का वास्तविक स्वरूप केवल पूजा में नहीं, बल्कि पूजित प्रत्येक वस्तु के सम्मान में प्रकट होता है। पूजा का पूर्णत्व अर्पण से आरंभ होकर आदरपूर्ण निस्तारण पर पूर्ण होता है। समय आ गया है कि हम अपनी आस्था को केवल पूजा-अर्चना तक सीमित न रखें, बल्कि पूजित प्रत्येक वस्तु के सम्मान को भी अपने धार्मिक आचरण का अभिन्न अंग बनाएं। श्रद्धा तभी पूर्ण मानी जाएगी, जब पूजा के उपरांत भी पूजित सामग्री के प्रति वही आदर और संवेदनशीलता बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों में पूजित धार्मिक सामग्री के सम्मानजनक, संस्कारसम्मत एवं पर्यावरण-अनुकूल निस्तारण हेतु समाज में एक सुव्यवस्थित, स्थायी और जनसहभागिता पर आधारित

व्यवस्था विकसित करना समय की अनिवार्य आवश्यकता है। यही हमारी धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक परिपक्वता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का सच्चा परिचायक होगा।

हर्ष की बात है कि इसी आवश्यकता को अनुभव करते हुए मंगलमय परिवार, नोएडा ने एक अनुकरणीय सामाजिक-धार्मिक अभियान प्रारम्भकिया है- 'निर्मल्य कलश'। यह केवल एक संग्रह-पात्र नहीं, बल्कि धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक चेतना और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का सशक्त माध्यम है। इस अभियान की भावना और उद्देश्य को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि 'निर्मल्य' शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है।

'निर्मल्य' संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है भगवान को अर्पित होने के पश्चात पूजित सामग्री। यह सामान्य अर्थों में त्याज्य वस्तु नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आराधना का पावन अवशेष है, इसलिए इसका निस्तारण भी सामान्य कचरे की भांति नहीं, बल्कि धार्मिक मर्यादा, शुचिता और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए।

इस अभियान का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष नई पीढ़ी को संस्कारित करना भी है। जब बच्चे यह देखेंगे कि घर और मंदिर में पूजित वस्तुओं का सम्मानपूर्वक निस्तारण किया जाता है, तब उनके मन में धर्म का सही स्वरूप विकसित होगा। वे समझेंगे कि पूजा केवल दीप, धूप और पुष्प अर्पित करने का नाम नहीं, बल्कि पूजित वस्तुओं के प्रति आजीवन सम्मान बनाए रखने का संस्कार भी है। ऐसे ही छोटे-छोटे आचरण भविष्य के उत्तरदायी नागरिक और संवेदनशील समाज का निर्माण करते हैं।

इस अभियान के अंतर्गत मंदिरों एवं आवासीय परिसरों में विशेष पीले रंग के 'निर्मल्य कलश' स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें केवल खंडित भगवान की मूर्तियां, धार्मिक चित्र, कैलेंडर, फ्रेम, भगवान के वस्त्र, चुनरियां तथा अन्व पूजित धार्मिक सामग्री ही संग्रहित की जाती है। तत्पश्चात प्रशिक्षित सेवाकर्मी समय-समय पर इन सामग्रियों को एकत्र कर उनका विधि-विधान एवं पूर्ण सम्मान के साथ निस्तारण करते हैं। यह पहल केवल धार्मिक मर्यादा की रक्षा नहीं करती, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

जनवरी 2026 में नोएडा की एक आवासीय सोसाइटी से प्रारम्भ हुआ यह अभियान आज 200 से अधिक मंदिरों तक पहुंच चुका है। लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 600 से अधिक मंदिरों में 'निर्मल्य कलश' स्थापित किए जाएं। यह पहल केवल नोएडा तक सीमित न रहकर देशभर में जन-जागरण का अभियान बने, यही समय की आवश्यकता है।

एक दिन मेरे परमप्रिय मित्र एवं अनुज तुल्य रवींद्र हांडा जी ने मुझे 'निर्मल्य कलश' अभियान के उद्देश्य, उसकी कार्यप्रणाली तथा उसके पीछे निहित धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अवगत कराया। मैं स्वयं

को इस विषय पर लिखने से रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे यह कार्य समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और समयानुकूल प्रतीत हुआ। मुझे उनके साथ अनेक सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है।

आज आवश्यकता केवल प्रशंसा करने की नहीं, बल्कि ऐसे सेवा-यज्ञ में अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार आहुति देने की है। क्योंकि समाज का उत्थान केवल विचारों से नहीं, बल्कि विचारों के साथ जुड़े सत्कर्मों से होता है। इस अभियान की एक विशेषता यह भी है कि यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है।

"निर्मल्य कलश" वास्तव में एक पात्र नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृति, धार्मिक संवेदना और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का संगम है। यह हमें स्मरण कराता है कि धर्म का वास्तविक स्वरूप केवल मंदिरों में दीप प्रज्वलित करना नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में श्रद्धा, स्वच्छता और संवेदनशीलता का दीप जलाना है। 'धर्म की रक्षा केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं होती, बल्कि धर्मसम्मत आचरण से होती है। 'निर्मल्य कलश' उसी धर्माचार का एक जीवंत उदाहरण है।'

आइए, हम सब इस अभियान से जुड़ें और यह संकल्प लें कि हमारे आराध्य से संबंधित कोई भी पूजित सामग्री कभी उपेक्षित नहीं होगी। यही धर्म का सम्मान है, यही संस्कृति की रक्षा है और यही प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।

आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें-
न मंदिर होगा अपमानित,
न आस्था होगी लज्जित। निर्मल्य पाएगा सम्मान,
स्वच्छ रहेगा हिंदुस्तान।।

सम्पर्क सूत्र-
खंडित मूर्तियों का गरिमापूर्ण निस्तार
मंगलमय परिवार नोएडा की एक पवित्र पहल
निर्मल्य कलश
संपर्क केंद्र 8800964006

ग्लोबल वार्मिंग से तीन गुणा ज्यादा तपेगी दुनिया

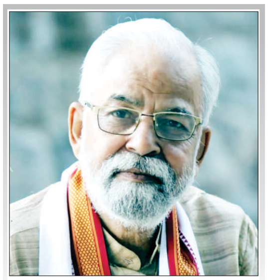

ज्ञानेन्द्र रावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद

ग्लोबल वार्मिंग ने दुनियाभर में कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसमें जलवायु परिवर्तन ने अहम भूमिका निबाही है। यहां तापमान वैश्विक औसत की तुलना में दोगुनी गति से बढ़ रहा है। इसके चलते लम्बे समय तक चलने वाली और हीटवेव की घटनायें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। हालात इस बात के सबूत हैं कि आने वाले दिनों में तापमान दो डिग्री तक पहुंच सकता है। दुनियाभर के शोध-अध्ययन इस बात के संकेत पहले ही दे चुके हैं। अध्ययनों की मानें तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते असीमित गर्मी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यूरोप की भयंकर गर्मी इस बात की चेतावनी है। वह बात दीगर है कि यूरोप की इस भयंकर गर्मी को 'हीटडोम' कहें, 'हीटवेव' कहें या फिर उसे 'ओमेगा हीटवेव' की संज्ञा दी जाये, हकीकत यह है कि यूरोप भीषण गर्मी के साये में झुलस रहा है। हालात की भयावहता का सबूत यह है कि योरोप के कई देश 1970 के दशक की तुलना में दो महीने अधिक 'हीट स्ट्रेस' का भीषण असर झेल रहे हैं। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार है। मौसम विभाग के अनुसार यूरोप महाद्वीप के कई हिस्सों में हीटडोम बना हुआ है जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज की गर्मी हर दिन इसमें इजाफा करती है। नतीजतन बारिश और ठंडी हवायें भी राहत नहीं दे पातीं। हीटडोम चिंताजनक इसलिए भी है कि ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। इससे लोग लम्बे समय तक गर्मी झेलने को मजबूर होते हैं।

देखा जाये तो फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मैक्सिको, बेल्जियम और नीदरलैंड में स्थिति ज्यादा भयावह है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली की सरकारों ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। पूरे स्पेन में गर्मी का अलर्ट है। बेल्जियम और नीदरलैंड में भीषण गर्मी के चलते अभी तक 3700 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्थानीय अधिकारियों की मानें तो यह आंकड़े शुरूआती हैं। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। फ्रांस में अधिकांश हिस्सों में हाई अलर्ट है। वहां के 54 विभागों में रेड अलर्ट है। यहां 1947 के बाद यहां सबसे अधिक गर्म दिन और गर्मी इस बार देखी गयी है। यह वहां पर अभूतपूर्व स्थिति का द्योतक है। वहां हालात इतने खराब हैं कि वहां पर गर्मी से राहत पाने की कोशिश जानलेवा साबित हो रही है। इसी कोशिश में वहां जलाशयों व नदियों में गये तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। एफिल टावर के पास ट्रोकडेरो फाउंटेन में गर्मी की वजह से राहत की खातिर लोग कूदते देखे गये हैं।

कई देश 1970 के दशक की तुलना में अधिक 'हीट स्ट्रेस' का भीषण असर झेल रहे हैं। इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार है। मौसम विभाग के अनुसार यूरोप महाद्वीप के कई हिस्सों में हीटडोम बना हुआ है जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज की गर्मी हर दिन इसमें इजाफा करती है। नतीजतन बारिश और ठंडी हवायें भी राहत नहीं दे पातीं। हीटडोम चिंताजनक इसलिए भी है कि ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ते हैं।

वहां शवों को रखने की जगह कम पड़ रही है। यही नहीं वहां घरों में रहने वालों और 45 से अधिक उम्र के लोगों के मरने की तादाद सबसे ज्यादा यानी 91 फीसदी है। बेल्जियम और नीदरलैंड में भी सबसे ज्यादा 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की मौतें हुयी हैं। यह हालात की भयावहता का जीता-जागता सबूत है। इन हालातों ने स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ा दिया है। परिवहन सुविधाओं पर भी काफी दबाव पड़ा है। लोग मानने लगे हैं कि अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। इसमें देरी तबाही के खतरों को और बढ़ा देगी।

विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप में जानलेवा गर्मी के कहर से वहां गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। वैज्ञानिक इसे 'ओमेगा ब्लाक' नामक दुर्लभ मौसमी पैटर्न की संज्ञा दे रहे हैं। उनके अनुसार ओमेगा ब्लाक के चलते यूरोप के कई देशों में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। स्कूल बंद करने पड़े हैं। बिजली आपूर्ति प्रभावित हुयी है और पौल्ट्री फार्मों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस असामान्य गर्मी के पीछे ओमेगा ब्लाक नामक मौसमी पैटर्न जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र ग्रीक अक्षर 'ओमेगा' के आकार का बन जाता है। यह गर्म हवा को लम्बे समय तक एक ही इलाके में रोककर रखता है जिससे अमूमन तापमान सामान्य से 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है। फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी शहर पिसोस में तापमान 44.3 डिग्री को पार कर गया। उत्तर-पश्चिमी शहर ब्रिटनी में बिजली आपूर्ति ठप्प होने से हजारों लोग प्रभावित हुए, वहीं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी उत्पादन में सात फीसदी की कटौती करने को बाध्य होना पड़ा। कारण शीतलन के लिए वहां पर्याप्त पानी का अभाव था। इससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा है सो अलग। वहीं इटली में फ्लोरेंस, मिलान,रोम, ट्यूरिन, वेरोना सहित सोलह शहरों में उच्च स्तर का हाई अलर्ट जारी करना पड़ा।

ब्रिटेन में बढ़ते तापमान के कारण समय से पहले स्कूलों को बंद करना पड़ा। फ्रांस में कारों में अत्याधिक तापमान के कारण छोटे बच्चे मौत के मुंह में चले गये। यहां के ब्रिटनी और पेज दे ला लोआर इलाके में बहुतेरे पौल्ट्री फार्म में अत्याधिक गर्मी से लाखों पक्षियों की मौत हो गयी। स्पेन में हीट स्ट्रोक से कई बुजुर्गों की मौत हो गयी। मौसम विज्ञानियों ने आशंका जतायी है कि यह गर्मी 2003 की यूरोप में आयी विनाशकारी हीटवेव जैसी हो सकती है जिसमें तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गये थे। हालात की भयावहता का पता इससे चल जाता है कि फ्रांस में पेरिस के समीप ओरली के शवगृह के संचालक जौहेर हेर्तेली की मानें तो उनके यहां शवों को रखने के सभी स्थान भर चुके हैं। अंतिम संस्कार में देरी के कारण शवों को सामान्य से अधिक समय तक सुरक्षित रखना पड़ रहा है। वहां अतिरिक्त शवों के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर इस्तेमाल करने और अतिरिक्त जगह की जरूरत बतायी है। मरने वालों की बढ़ती तादाद को देखते हुए कई जगहों पर अंतिम संस्कार हेतु 10 जुलाई तक इंतजार करने को कहा गया है।

दरअसल अध्ययनों ने एक साल पहले ही चेता दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तीन गुणा असीमित गर्मी पड़ने की संभावना है जिसके कारण लोग सहने की क्षमता से काफी मात्रा में प्रभावित होंगे जिनमें युवकों की तादाद ज्यादा होगी। नेचर रिव्यू अर्थ एण्ड इनवायरमेंट में प्रकाशित किंग्स कालेज के अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार स्वस्थ और युवा वयस्कों को बढ़ती गर्मी के चलते होने वाली कठिनाई की सीमा तीन गुणा होने की संभावना व्यक्त की गयी थी। अध्ययन कर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि जिस क्षेत्र में अत्याधिक गर्मी जैसे हालात होंगे, वहां वृद्ध लोगों को गर्मी से 35 फीसदी खतरा ज्यादा होगा। असलियत में होता यह है कि 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के शरीर उम्र से सम्बंधित परिवर्तन के कारण अत्याधिक गर्मी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इनमें कम पसीना आना और धीमा रक्त सर्कुलेशन होता है। अध्ययन कर्ता प्रोफेसर टाम मैथ्यूज के अनुसार यदि वैश्विक तापमान दो डिग्री तक पहुंच जाता है तो इसके घातक परिणाम होंगे। इससे वृद्ध लोगों के लिए अबतक जीवित न रह पाने वाली गर्मी की सीमायें बढ़ी हैं। वहीं इससे युवा आने वाले समय में अधिक जूझते नजर आयेंगे। ऐसे में लंबे समय तक बाहर रहने वाले के अलावा छाया में रहने वाले लोग भी घातक हीटस्ट्रोक की चपेट में आ जायेंगे। शोधकर्ताओं का दावा है कि असहनीय गर्मी में शरीर का मुख्य तापमान छह घंटे के भीतर 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए सरकारों को अब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को गंभीरता से लेना होगा अन्यथा मानव जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा।

वर्तमान समय में शास्त्रार्थ की अपरिहार्यता

सिद्धेश्वर शुक्ल
वरिष्ठ लेखक

भारतीय सभ्यता की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी समृद्ध ज्ञान परम्परा रही है। इस परम्परा में आध्यात्मिक चिन्तन के साथ ही दर्शन, तर्क, भाषा, साहित्य, राज्यशास्त्र, न्याय, चिकित्सा तथा जीवन के विविध आयामों पर गंभीर विमर्श और शास्त्रार्थ की समृद्ध परम्परा विकसित हुई। भारत में ज्ञान को स्थिर और प्रश्नातीत परमादेश के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे निरन्तर विमर्श, परीक्षण और बौद्धिक अनुशीलन के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया। इसी विमर्शपरक परम्परा का परिष्कृत और व्यवस्थित स्वरूप है - शास्त्रार्थ।

28 जून 2026 के 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्रार्थ को वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित एवं ज्ञानोन्मुख प्रक्रिया के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने इसे तकनीक-प्रधान युग में युवाओं को अपनी सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बताया तथा देश के विश्वविद्यालयों से आह्वान किया कि वे शास्त्रार्थ की इस पद्धति को शिक्षा व्यवस्था में समाविष्ट करने की संभावनाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

सामान्य धारणा में शास्त्रार्थ को प्रायः केवल वाद-विवाद, आध्यात्मिक बहस अथवा दार्शनिक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है, किन्तु वास्तव में यह भारतीय ज्ञानमीमांसा और तर्कपरम्परा का एक गम्भीर पद्धतिगत आधार है। इसका उद्देश्य केवल प्रतिपक्ष को पराजित करना नहीं था, बल्कि मित्रवत संवाद और सहभागी स्वरूप में विषय-वस्तु के प्रमाणिक स्वरूप तक पहुंचना था। ऋग्वेदकाल से ही शास्त्रार्थ की विधि का प्रयोग ज्ञान-सृजन, ज्ञानार्जन, बौद्धिक स्पष्टता, ज्ञान-परिष्कार, तत्त्वज्ञान- संक्षरण तथा ज्ञान के प्रचार-प्रसार आदि में होता रहा है। भारतीय ज्ञान-परम्परा में शास्त्रार्थ को संवाद-कौशल तथा ज्ञान- साधना के महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं में शैक्षणिक संस्थानों में इसका व्यापक प्रयोग होता रहा है। साथ ही, शास्त्रार्थ ने भारतीय न्याय-प्रणाली, राजकीय निर्णय-प्रक्रिया तथा पंचायत जैसे मध्यस्थता मंचों को भी बौद्धिक आधार प्रदान किया है। आधुनिक ज्ञान-प्रणाली की दृष्टि से देखें तो शास्त्रार्थ में एक वैज्ञानिक शोध-पद्धति वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख तत्त्व - परिकल्पना, प्रमाण, तर्क, परीक्षण, खंडन, सत्यापन, वस्तुनिष्ठता, आगमन, निगमन, सामान्यीकरण आदि विद्यमान हैं।

वैदिक आधार और संवाद की प्राचीन चेतना : शास्त्रार्थ की मूल प्रेरणा भारतीय वैदिक साहित्य में निहित है। ऋग्वेद में अनेक मन्त्र ऐसे हैं जो संवाद, सामूहिक चिन्तन और बहुविध विचारों की स्वीकृति का समर्थन करते हैं। ऋग्वेद का प्रसिद्ध मन्त्र- "आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः"। यह उद्घोष करता है कि सभी दिशाओं से श्रेष्ठ और कल्याणकारी विचार हमारे पास आएं। यह केवल काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय बौद्धिक दृष्टि का मूलभूत सिद्धान्त है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय परम्परा में ज्ञान को किसी एक व्यक्ति, पंथ, दर्शन, पूजा-पद्धति, सम्प्रदाय या ग्रन्थ तक सीमित नहीं माना गया। वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक विषय पर सम्यक, समग्र, सर्वसमावेशी तथा बहुआयामी दृष्टि से विचार किया है। वे यह भली-भाँति जानते थे कि वायु के साथ प्रायः कूड़ा-करकट भी घर के भीतर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए ऋग्वेद में ज्ञान के परीक्षण का स्पष्ट निर्देश है-

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि।।
(ऋग्वेद १०.७१.२)

जैसे सत्तु (जौ और चने के दानों को पीसकर बनाई गई आटा) छानकर तैयार की जाती है, जिससे तिनका और अन्य अशुद्धियां अलग हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मित्रों की सभा में वाणी को छाना जाता है। वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके वाणी से अशुद्धियों को हटा देते हैं और केवल वास्तविक ज्ञान को स्वीकार करते हैं। इस

प्रकार, बुद्धिमान लोग मित्रवत् प्रकार से अपने मित्रों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। ऐसी वाणी में कल्याणी, लक्ष्मी और नितारा निवास करती हैं।

आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक संरचना की चुनौती : वर्तमान में भारत में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पेशेवर व्यवहार में प्रयुक्त अधिकांश शोध-पद्धतियाँ, सिद्धांत और मॉडल विदेशी स्रोतों एवं प्रतिमानों पर आधारित हैं। यह आयातित बौद्धिक उत्पाद मुख्यतः यूरो-अमेरिकी विद्वानों द्वारा उनके समाजों और आवश्यकताओं के अनुरूप किए गए अनुभवजन्य अध्ययनों पर आधारित हैं, जो भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रायः उपयुक्त नहीं होते। परिणामस्वरूप, शिक्षा का एक बड़ा भाग केवल प्रतिरूपों की पुनरावृत्ति तक सीमित हो जाता है और विद्यार्थियों की स्वतंत्र चिन्तन-क्षमता तथा रचनात्मकता बाधित होने लगती है।

जब किसी समाज की शिक्षा व्यवस्था उसकी अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक परम्पराओं से कट जाती है, तब विद्यार्थी धीरे-धीरे अपने ही ज्ञान-संसार के प्रति उदासीन होने लगते हैं। विदेशी बौद्धिक दृष्टिकोणों के अत्यधिक प्रभाव से अनेक बार विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति हीन भावना विकसित हो जाती है तथा "विदेशी मूल की श्रेष्ठता" का भ्रम जन्म लेता है। यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते संतुलित न किया जाए, तो यह भारतीय ज्ञान प्रणाली के प्रति अविश्वास अथवा उपेक्षा तक पहुंच सकती है। बीसवीं सदी से ही यह विषय राष्ट्रवादी विचारधारा के विद्वानों के चिंतन का प्रमुख विषय रहा है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देशानुकूलन और युगानुकूलन की अवधारणा प्रस्तुत की है।

भारत की विशाल और समृद्ध ज्ञान-परम्परा के होते हुए भी यह एक विडम्बना है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक जगत में हमारी भूमिका प्रायः केवल एक उपभोक्ता तक सीमित दिखाई देती है। जबकि भारतीय परम्परा में संवाद, संचार, अर्थशास्त्र, तर्क, ज्ञानमीमांसा, मनोविज्ञान, भाषाशास्त्र, नैतिकता, विधायी कार्य, विधि-व्यवसाय, नीति-निर्माण, और समाज कार्य आदि के अत्यन्त विकसित सिद्धान्त विद्यमान रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन सिद्धान्तों का समकालीन परिप्रेक्ष्य में पुनर्पाठ किया जाए और उन्हें शास्त्रार्थ की पद्धति के आलोक में सामाजिक और मानविकी विषयों में अनुसंधान हेतु नई पद्धतियों का विकास किया जाए।

समकालीन समाज में शास्त्रार्थ की प्रासंगिकता : वर्तमान समय सूचना-विस्फोट, वैचारिक ध्रुवीकरण और डिजिटल संचार का युग है। सामाजिक मीडिया और त्वरित संप्रेषण माध्यमों ने संचार को तीव्र तो बनाया है, किन्तु उसके साथ असत्य, भ्रम, प्रचार और भावनात्मक उकसावे की समस्या भी बढ़ी है। अनेक बार तथ्य और तर्क की अपेक्षा उत्तेजना और प्रचार अधिक प्रभावी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में शास्त्रार्थ की पद्धति अत्यन्त प्रासंगिक हो उठती है।

शास्त्रार्थ हमें सिखाता है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पहले प्रमाण, तर्क और बहुविध दृष्टिकोणों का परीक्षण आवश्यक है। यह संवाद में धैर्य, श्रवण और बौद्धिक विनम्रता का संस्कार विकसित करता है। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में शास्त्रार्थ आलोचनात्मक चिन्तन को विकसित करने में अत्यन्त सहायक हो सकता है। यदि विद्यार्थियों को केवल सूचनाएं देने के स्थान पर प्रश्न, प्रतिप्रश्न और विमर्श की पद्धति से शिक्षित किया जाए, तो उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता और स्वतंत्र चिन्तन का विकास होगा। इससे भाषण, लेखन और प्रस्तुति कौशल में भी वृद्धि होगी।

मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी शास्त्रार्थीय दृष्टि उपयोगी है। राष्ट्र निर्माण और विकास में मीडिया की रचनात्मक भूमिका पर गंभीर विमर्श के लिए प्रमाणाधारित संवाद आवश्यक है। तथ्य-जांच, स्रोत-विश्लेषण, बहुपक्षीय दृष्टिकोण और उत्तरदायी अभिव्यक्ति। ये सभी शास्त्रार्थीय पद्धति के मूल तत्त्व हैं। कॉर्पोरेट और जनसंपर्क क्षेत्र में कार्यरत पेशेवरों के लिए भी शास्त्रार्थ संवाद-कुशलता को विकसित करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। इससे तर्कपूर्ण प्रस्तुतीकरण, सक्रिय श्रवण और संतुलित संप्रेषण की क्षमता बढ़ती है, जो किसी भी पेशेवर वातावरण में अत्यन्त आवश्यक है। विधिक और न्यायिक क्षेत्र में शास्त्रार्थ की उपयोगिता और भी स्पष्ट दिखाई देती है। विधिक प्रारूपण, वाद-विवाद और न्यायशास्त्र में प्रमाण, तर्क और प्रतिवाद की जो संरचना दिखाई देती है, वह भारतीय शास्त्रार्थीय परम्परा के निकट है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनसंगठनों के लिए भी शास्त्रार्थ उपयोगी सिद्ध हो सकता है। संवाद-कौशल में वृद्धि के माध्यम से वे समाज के विभिन्न वर्गों के साथ अधिक प्रभावी संप्रेषण स्थापित कर सकते हैं। यह पद्धति संघर्ष के स्थान पर संवाद, सहमति और सामाजिक समरसता के निर्माण पर बल देती है।

शास्त्रार्थ की तर्काधारित पद्धति युवाओं में तार्किक प्रतिरक्षा शक्ति और समालोचनात्मक चिन्तन का निर्माण कर सकती है। इससे वे किसी भी सूचना, दावे या विचार को बिना परीक्षण के स्वीकार करने के स्थान पर उसका विवेकपूर्ण विश्लेषण कर सकेंगे। इस प्रकार शास्त्रार्थ न केवल डिजिटल युग की चुनौतियों से निपटने में सहायक है, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शास्त्रार्थ को केवल धार्मिक बहस या ऐतिहासिक परम्परा के रूप में न देखा जाए, बल्कि उसे एक तर्काधारित, प्रमाणसम्मत और नैतिक संवाद-पद्धति के रूप में पुनः समझा जाए। जब समाज संवाद खो देता है, तब वैचारिक संघर्ष और असहिष्णुता बढ़ती है; किन्तु जब संवाद तर्क, प्रमाण और सम्मान पर आधारित होता है, तब ज्ञान, सह-अस्तित्व और सामाजिक समरसता का विकास होता है। भारतीय शास्त्रार्थ इसी उच्च बौद्धिक संस्कृति का प्रतिनिधि है और आधुनिक विश्व को अधिक संतुलित, उत्तरदायी और विवेकपूर्ण संवाद की दिशा प्रदान कर सकता है।

(सिद्धेश्वर शुक्ल हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 'शास्त्रार्थ इन इंडियाः मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन्स' के लेखक हैं।)

जनरेशन Z : अपनी ऊर्जा को भारत के निर्माण में लगाओ

भारतीय पीढ़ी (जेनरेशन-जेड), स्टार्टअप्स, उद्योग, इसरो, डीआरडीओ और विभिन्न खेलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में हाल ही में हासिल की गई उपलब्धियों पर विचार करते हुए, प्रत्येक भारतीय गर्व से भर उठता है। दुनिया हमारी सफलताओं को देख रही है। हमारे समर्पित पेशेवरों, विशेषकर युवाओं द्वारा की गई प्रगति, भारतीयों और वैश्विक समुदाय दोनों के दृष्टिकोण को बदल रही है। आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए भारत अब हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। आइए इनमें से कुछ हालिया उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं।

डॉ. पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
ब्लॉगर एवं शिक्षाविद्

अंतरिक्ष उद्योग : भारतीय अंतरिक्ष अधिकारियों ने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ देश के अंतरिक्ष उद्योग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया। यह निजी तौर पर विकसित पहला कक्षीय रॉकेट है जिसने अपने पहले ही प्रयास में अंतरिक्ष में पहुंचने में सफलता हासिल की है। यह उपलब्धि भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है और देश की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में निजी उद्यमों की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। विक्रम-1 को 28 वर्ष की औसत आयु वाले युवा इंजीनियरों की टीम द्वारा विकसित किया गया है और यह अपनी दक्षता बढ़ाने और वजन कम करने के लिए अत्याधुनिक कार्बन कंपोजिट तकनीक का उपयोग करता है। इस सफल प्रक्षेपण से भारत की वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूती मिलने और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित होने की उम्मीद है।

भारतीय रेल : इस बीच, भारतीय रेलवे हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को अपनाकर पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाली प्रणालियों के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन-चालित ट्रेन का अनावरण इस आधुनिक तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। यह लोकोमोटिव हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से स्वयं बिजली उत्पन्न करता है। 17 जुलाई, 2026 से परिचालन शुरू करने वाली यह ट्रेन उत्तरी रेलवे के जिंद-सोनीपत खंड पर चलेगी और भारत में स्वच्छ रेल परिवहन की क्षमता को प्रदर्शित करेगी। एक पायलट परियोजना के रूप में विकसित यह ट्रेन नवाचार के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और ऊर्जा दक्षता और टिकाऊ परिवहन प्रथाओं का समर्थन करती है। हाइड्रोजन ट्रेन के डिजाइन और विशिष्टताओं को अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा अनुमोदित किया गया है, और पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित यह पहल आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है।

दुर्लभ-पृथ्वी चुंबक : भारत में विद्युत वाहनों की ओर बढ़ते कदम और तेजी से बढ़ने के साथ, विद्युत वाहन क्षेत्र के सामने एक बड़ी चुनौती दुर्लभ-पृथ्वी चुंबकों पर इसकी निर्भरता है, जिनका मुख्य स्रोत और प्रसंस्करण चीन से होता है। बेंगलुरु स्थित एक तकनीकी कंपनी, विमैग लैब्स, ने इस समस्या का एक अभूतपूर्व समाधान खोजने का दावा किया है। उनके आविष्कार, 'वर्चुअल मैग्नेट', से केवल तांबे और इस्पात का उपयोग करके मोटर का उत्पादन संभव हो पाता है, जिससे दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। विमैग लैब्स ने हाल ही में दुर्लभ-पृथ्वी चुंबकों के बिना चलने वाली एक विद्युत मोटर के लिए अपना पांचवां भारतीय पेटेंट प्राप्त किया है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए सॉफ्टवेयर और पावर

इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करती है। 5 मिलियन डॉलर के मूल्य वाली यह छोटी कंपनी एक ऐसे मुद्दे को हल करने में लगी है जिसने टेस्ला और जीएम जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों को वर्षों से परेशान कर रखा हैरू चीनी संसाधनों से मुक्त एक प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रिक वाहन मोटर कैसे बनाई जाए।

परमाणु ऊर्जा : परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) ने 6 अप्रैल, 2026 को अपनी पहली क्रिटिकैलिटी प्राप्त कर ली। यह एक सतत परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है, जो भारत की तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा पहल के दूसरे चरण में प्रवेश का संकेत देता है। इस पहल की परिकल्पना मूल रूप से भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक डॉ. होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इस उपलब्धि के वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिणाम होंगे, क्योंकि भारत रूस के बाद वाणिज्यिक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। यह विकास परमाणु ऊर्जा विभाग के दशकों के प्रयासों का परिणाम है और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के करीब लाता है।

भारत सुगम यात्रा : इसके अलावा, भारत सुगम यात्रा, प्रदूषण में कमी, रसद लागत में कमी और देशव्यापी परिचालन उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली के शुभारंभ के साथ अपने राजमार्ग बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-II) पर मुंडका-बक्करवाला में पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा शुरू हो गया है। एमएलएफएफ प्रणाली का उद्देश्य प्रति वर्ष लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन की बचत करना और लगभग 81,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो प्रदूषण के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में।

भौतिकी ओलंपियाड : कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (आईपीएचओ) 2026 में भारत के युवा भौतिकविदों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारतीय टीम के सभी पांच सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के कारण भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों में चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और वैश्विक मंच पर उसकी उत्कृष्टता को दर्शाती है।

रक्षा क्षमता : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ऐसी प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है जो विभिन्न खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती हैं। 10 और 11 जून, 2026 को लगातार तीन उड़ान परीक्षणों में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने और मध्यम दूरी की जहाज-रोधी क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई बहुस्तरीय रक्षा प्रणालियों का सफल प्रदर्शन किया गया। इन उपलब्धियों ने भारत को अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है।

खेल : खेलों में, पीवी सिंधु ने विश्व नंबर 5 हान यू को हराकर जापान ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। शतरंज में, दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित फिडे महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अलावा, महिला 24 X 100 मीटर रिले टीम ने एशियाई रिले चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक 52 रनों की जीत दर्ज की।

ये हमारे इस महान राष्ट्र की कुछ उपलब्धियां मात्र हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपलब्धियों का पता लगा सकते हैं और भविष्य में राष्ट्र निर्माण के अनेक प्रयासों में भाग ले सकते हैं।

राष्ट्र को कमजोर करने के लिए विनाशकारी कार्य : हालांकि, कुछ वामपंथी युवा संगठन और विदेशी वित्त पोषित समूह अलग-अलग एजेंडा अपनाकर भारत और उसकी समृद्ध संस्कृति के खिलाफ जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विनाशकारी गुट भी सक्रिय हैं। ये संगठन जाति के आधार पर विभाजन पैदा करते हैं और प्रगति, अनुसंधान और नवाचार का विरोध करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से स्वार्थ से प्रेरित चीन, पाकिस्तान और वैश्विक बाजार शक्तियों का समर्थन करते हैं। कई युवा इन भ्रामक विचारों का शिकार हो रहे हैं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया और मुख्यधारा मीडिया में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से बल मिलता है। युवाओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि उनके, समाज और राष्ट्र के लिए क्या लाभदायक है। संविधान और राष्ट्रीय विकास को खतरे में डालने वाली किसी भी विचारधारा को अस्वीकार किया जाना चाहिए। सही दृष्टिकोण के प्रति अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, जिसे सोशल मीडिया और सामुदायिक सभाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि हर राष्ट्र चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन सकारात्मक बदलाव लाने वाले समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। युवाओं को उन ताकतों से जुड़ने से बचना चाहिए जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे गठबंधन उनकी भविष्य की प्रगति और राष्ट्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं।

त्रिभाषा सूत्र : एक भारत, श्रेष्ठ भारत

अभय श्रीवास्तव
लेखिक

भारत विश्व का एक ऐसा अद्भुत राष्ट्र है जहां सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, विविध संस्कृतियां और अनेक परंपराएं सहस्राब्दियों से एक साथ विकसित होती रही हैं। यही भाषाई और सांस्कृतिक विविधता भारत की सबसे बड़ी पहचान है। किंतु विविधता तभी राष्ट्र की शक्ति बनती है जब उसे एकता के सूत्र में पिरोने वाला साझा दृष्टिकोण भी हो। इसी विचार को साकार करने का एक प्रभावी माध्यम है त्रिभाषा सूत्र, जिसे नई शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीएसई सहित देश की शिक्षा व्यवस्था में प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह केवल तीन भाषाएं सीखने की व्यवस्था नहीं, बल्कि भारतीयता, राष्ट्रीय एकात्मता और वैश्विक नागरिकता का संतुलित दर्शन है।

भाषा : संवाद का नहीं, संस्कार का माध्यम : भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं होती; वह किसी समाज की संस्कृति, इतिहास, साहित्य, संवेदनाओं और जीवन-मूल्यों की वाहक होती है। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपनी भाषा और संस्कृति से आत्मविश्वास प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था-

'हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है।' और विचारों का सबसे स्वाभाविक माध्यम हमारी मातृभाषा ही होती है। यही कारण है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने वाला विद्यार्थी विषयों को अधिक गहराई से समझता है, अधिक रचनात्मक बनता है और अपनी सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा रहता है।

त्रिभाषा सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचने की क्षमता विकसित करे, किसी अन्य भारतीय भाषा के माध्यम से पूरे देश से जुड़े और एक वैश्विक भाषा के माध्यम से विश्व के साथ आत्मविश्वासपूर्वक संवाद कर सके।

त्रिभाषा सूत्र : विविधता में एकता का सशक्त आधार - भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भाषाई विविधता विभाजन का कारण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। उत्तर भारत की भाषाएं हों या दक्षिण भारत की, पूर्वोत्तर की बोलियां हों या पश्चिम भारत की लोकभाषाएं प्रत्येक भाषा भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य किसी भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध करना या किसी भाषा को थोपना नहीं है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर यह भावना विकसित करना है कि भारत की प्रत्येक भाषा सम्मान की अधिकारी है।

जब उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी तमिल या मलयालम के कुछ शब्द सीखता है, जब केरल का छात्र हिंदी साहित्य को समझता है, जब असम का युवा मराठी या गुजराती संस्कृति से परिचित होता है, तब केवल भाषाएं नहीं सीखी जातीं, बल्कि दिल जुड़ते हैं, पूर्वाग्रह समाप्त होते हैं और राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत होती है। यही सामाजिक समरसता का वास्तविक स्वरूप है, जहां भाषा विभाजन का नहीं, आत्मीयता का माध्यम बनती है। भारत के सांस्कृतिक चिंतन में सदैव यह माना गया है कि विविधताओं को स्वीकार कर उन्हें परस्पर सम्मान और सहयोग के सूत्र में बाँधना ही सशक्त राष्ट्र निर्माण का आधार है।

आज आवश्यकता भाषाई प्रतिस्पर्धा की नहीं, बल्कि भाषाई सहयोग की है। भारत का भविष्य तभी उज्ज्वल होगा जब उसकी भाषाएँ एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी बनेंगी।

युवा शक्ति और विकसित भारत का संकल्प : आज का भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में अग्रणी है। यही युवा शक्ति वर्ष 2047 के विकसित भारत का निर्माण करेगी। ऐसे में शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना भी है जो अपने राष्ट्र की आत्मा को समझें।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक आदरणीय डॉ. मोहन भागवत ने अनेक अवसरों पर भारतीय भाषाओं, सांस्कृतिक आत्मबोध और राष्ट्रीय एकात्मता के महत्व पर बल दिया है। उनका स्पष्ट मत है कि अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़ा समाज ही

आत्मविश्वास के साथ विश्व का नेतृत्व कर सकता है। त्रिभाषा सूत्र इसी राष्ट्रीय दृष्टि को व्यवहार में उतारने का प्रभावी माध्यम है। यह युवाओं को केवल भाषाएं नहीं सिखाता, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक विश्व का नेतृत्व करने का आत्मविश्वास भी देता है।

बहुभाषी युवा अधिक संवादशील, अधिक रचनात्मक और अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। वे देश के किसी भी भाग में कार्य कर सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ सहजता से जुड़ सकते हैं और राष्ट्रीय विकास में व्यापक योगदान दे सकते हैं।

विश्व मंच पर भारत की नई पहचान : आज का युग ज्ञान, नवाचार और वैश्विक सहयोग का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान, अंतरिक्ष, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में विश्व के अनेक विकसित देश बहुभाषिकता को अपनी बौद्धिक और आर्थिक शक्ति मानते हैं। जो समाज अनेक भाषाओं में सोच सकता है, वह अनेक दृष्टिकोणों से समस्याओं का समाधान भी खोज सकता है।

भारत के पास यह क्षमता स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। यदि हमारी नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा, एक अन्य भारतीय भाषा और एक वैश्विक भाषा में दक्ष होगी, तो वह विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि नेतृत्व भी कर सकेगी। महात्मा गांधी का एक विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है- 'मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे घर में आएं, पर वे मुझे मेरी जड़ों से उखाड़ न दें। यही त्रिभाषा सूत्र की मूल भावना है- जड़ों से जुड़े रहकर विश्व से संवाद करना।

भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भाषाई विविधता विभाजन का कारण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। उत्तर भारत की भाषाएं हों या दक्षिण भारत की, पूर्वोत्तर की बोलियां हों या पश्चिम भारत की लोकभाषाएं प्रत्येक भाषा भारत की साझा सांस्कृतिक धरोहर है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य किसी भाषा को श्रेष्ठ सिद्ध करना या किसी भाषा को थोपना नहीं है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर यह भावना विकसित करना है कि भारत की प्रत्येक भाषा सम्मान की अधिकारी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा और 'स्व' का बोध : भारत की भाषाओं में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, संत साहित्य, लोककथाएं, दर्शन, विज्ञान और सामाजिक चिंतन का विशाल ज्ञान-सागर सुरक्षित है। यदि नई पीढ़ी भारतीय भाषाओं से दूर होती है, तो वह केवल एक भाषा नहीं खोती, बल्कि हजारों वर्षों की ज्ञान-परंपरा से भी दूर हो जाती है।

भारतीय चिंतन में 'स्व' का अर्थ केवल स्वयं तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपरा और अपनी राष्ट्रीय पहचान का आत्मबोध है। जब युवा भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपने साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को समझते हैं, तब उनमें सांस्कृतिक आत्मविश्वास विकसित होता है। यही आत्मविश्वास विकसित भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक और नैतिक शक्ति बनेगा। ऋग्वेद का यह मंत्र आज भी हमें प्रेरित करता है-

'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः।' अर्थात् चारों दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आएँ।

भारतीय संस्कृति ने सदैव नए विचारों का स्वागत किया है, किंतु अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए। त्रिभाषा सूत्र इसी संतुलित दृष्टि का आधुनिक स्वरूप है।

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की दिशा में : राष्ट्रीय एकता केवल संविधान की धाराओं से नहीं बनती; वह नागरिकों के हृदयों में जन्म लेती है। जब देश का एक विद्यार्थी दूसरे प्रदेश की भाषा, साहित्य और संस्कृति का सम्मान करता है, तब वह केवल एक भाषा नहीं सीखता, बल्कि एक नया भारत खोजता है।

निष्कर्ष : भाषा से बंधे, भावना से जुड़े आज विश्व अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विभाजनों से जूझ रहा है। ऐसे समय में भारत अपनी भाषाई विविधता के माध्यम से विश्व को सहअस्तित्व, संवाद और सांस्कृतिक सम्मान का मार्ग दिखा सकता है।

त्रिभाषा सूत्र केवल शिक्षा की नीति नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। यह युवाओं को अपनी मातृभाषा पर गर्व करना सिखाता है, अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करना सिखाता है और विश्व से आत्मविश्वास के साथ संवाद करना भी सिखाता है। यही वह संतुलन है जो भारत को ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और मानवता के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है।

'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश देने वाली इस भूमि के लिए त्रिभाषा सूत्र केवल तीन भाषाओं का पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि तीन महान संकल्पों का राष्ट्रीय अभियान है। अपनी जड़ों से जुड़ना, पूरे भारत को अपनाना और विश्व का नेतृत्व करना।

जब भारत का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोच सके, किसी अन्य भारतीय भाषा में अपने देशवासी से आत्मीयता स्थापित कर सके और विश्व की भाषा में मानवता से संवाद कर सके, तब केवल एक शिक्षित पीढ़ी नहीं, बल्कि एक सशक्त, समरस, आत्मविश्वासी और विकसित भारत का निर्माण होगा। यही त्रिभाषा सूत्र का वास्तविक उद्देश्य है और यही 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की सबसे सशक्त आधारशिला भी।

युवाओं में घटती मानसिक सहनशीलता

सतीश शर्मा
केशव भाग संघचालक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नोएडा

युवाओं में घटती मानसिक सहनशीलता आज के समय की एक गंभीर चुनौती बन गई है।

बदलते लाइफस्टाइल, डिजिटल दबाव और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण युवाओं की तनाव झेलने की क्षमता प्रभावित हो रही है। मानसिक तनाव किसी विशेष परिस्थिति या घटना के कारण शरीर पर पड़ने वाले दबाव की प्रतिक्रिया है। यह घटना कोई भी हो सकती है - शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया।

जब कोई व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है, तो उसमें शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया विकसित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर को इसे अनुभव करने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोई भी तनाव प्रतिक्रिया शरीर को नए वातावरण में ढलने में मदद करती है। यह हमें सतर्क, प्रेरित और खतरे से बचने के लिए तैयार रखकर सकारात्मक करती है। लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि तनाव तब एक समस्या बन जाता है जब तनाव के कारण राहत या आराम के बिना भी हम काम करना जारी रखते हैं। तनाव शैक्षणिक परीक्षाओं, पारस्परिक संबंधों, रिश्तों की समस्याओं, जीवन में बदलाव और करियर की खोज से उत्पन्न होता है। इस तरह के तनाव से आमतौर पर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जब कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है, तो मस्तिष्क 'लड़ो या भागो' प्रतिक्रिया शुरू करता है। इससे हाइपोथैलेमस कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन छोड़ता है, जो शरीर को खतरे से निपटने के लिए तैयार करते हैं। लगातार बने रहने पर, यह शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बनता है ओर जब वह तनाव नहीं सह पाता तो वह नशा करता या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।

भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में कुल 1,70,746 लोगों ने आत्महत्या की और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लगभग 17.9 प्रतिशत मौतों का प्रमुख कारण बताया गया। आत्महत्या के पीछे कई बहुआयामी कारण होते हैं जिनमें पारिवारिक समस्याएं (33.5 प्रतिशत), बीमारियां (17.9 प्रतिशत), और नशा (7.6 प्रतिशत) शामिल हैं। तनाव कई मामलों में एक छिपे हुए कारक के रूप में काम करता है और अवसाद का रूप ले लेता है।

राहुल दिल्ली की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। अच्छा पैकेज, आलीशान फ्लैट और हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक कड़वा सच छिपा था पर राहुल पिछले कई महीनों से भयंकर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसके दिन की शुरुआत ऑफिस के पेंडिंग काम की चिंता से होती और रात स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए बीतती राहुल का जीवन बिखरा हुआ था व तनाव ने राहुल के शरीर और मन पर कब्जा कर लिया था, वह रात भर करवटें बदलता रहता। उसे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, राहुल ने दोस्तों के फोन उठाने बंद कर दिए थे। काम की अधिकता के कारण वह कभी दिन मे खाना भी छोड़ देता था। राहुल का काम भी ऐसा था की उसे ऑफिस में हर वक्त उपलब्ध रहना पढ़ता था इस दवाब के कारण वह अंदर से खोखला होता चला गया ओर अंत में राहुल को लगने लगा कि वह दुनिया की रेस में अकेला पढ़ गया है।

एक बार ऑफिस की एक बड़ी प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल के हाथ कांपने लगे। उसका दम घुटने लगा और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे पैनिक अटैक आया था। उसे तुरंत ऑफिस के मेडिकल रूम में ले जाया गया। डॉक्टर ने राहुल से सिर्फ एक बात कही, 'राहुल तुम्हारा शरीर ठीक है, लेकिन तुम मानसिक रूप से थक चुके हो, तुम्हें आराम की जरूरत है।'

उस दिन राहुल को समझ आ गया कि सफलता की कीमत मानसिक

शांति को दांव पर लगाकर नहीं चुकाई जा सकती। राहुल ने थेरेपिस्ट से मिलकर अपनी समस्या बतायी तो थेरेपिस्ट उसे कुछ सुझाव दिये की वह रात 9 बजे के बाद अपना फोन बंद कर दे, वर्क-आवर के बाद ऑफिस के काम ना करे, राहुल ने सुबह प्राणायाम, आसन व घूमना शुरू किया। उसका परिणाम दिखा राहुल को आज भी काम का प्रेशर मिलता पर अब वह तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देता। राहुल जान गया है कि जिंदगी में 'ना' कहना और खुद की मानसिक सेहत का ख्याल रखना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है क्योंकि कहा गया है कि "जान है तो जहान है"।

ये सिर्फ राहुल की कहनी नहीं है ये आज के हर युवा की दास्तान है। इसी विषय पर नागपुर में 'समर्पण' माइंड वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने युवाओं में घटती मानसिक सहनशीलता और संवेदनशीलता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना था कि पारंपरिक पारिवारिक मार्गदर्शन की कमी और अत्यधिक स्क्रीन टाइम के कारण आज की युवा पीढ़ी मानसिक रूप से कमजोर हो रही है। ये समस्या दिन प्रति दिन गंभीर होती जा रही है ।

उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवारों के टूटने और बड़ों (दादी-नानी) द्वारा कहानियों के माध्यम से दिए जाने वाले संस्कारों के अभाव से युवा अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। माता-पिता बच्चों के रोने पर उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, जिससे वे 'गूगल बाबा' के भरोसे पलते हैं और वास्तविक संवाद से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि 12वीं में फेल होने या घर में डांट पड़ने जैसी छोटी घटनाओं पर भी युवा आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे हैं। भागवत जी के अनुसार, युवा मन की घटती क्षमता केवल बच्चे की गलती नहीं, बल्कि परिवार और समाज की सामूहिक विफलता है।

तनाव से आमतौर पर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जब कोई चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आती है, तो मस्तिष्क 'लड़ो या भागो' प्रतिक्रिया शुरू करता है। इससे हाइपोथैलेमस कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन छोड़ता है, जो शरीर को खतरे से निपटने के लिए तैयार करते हैं। लगातार बने रहने पर, यह शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बनता है और जब वह तनाव नहीं सह पाता तो वह नशा करता या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है।

युवाओं में कम उम्र से ही स्मार्टफोन का उपयोग और सोशल मीडिया पर 'परफेक्ट' जीवन की अवास्तविक तुलना उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। चोट, बीमारी, या अचानक सदमा लगना। कार्यस्थल पर काम का बोझ, डेडलाइन, या परीक्षा का डर। पैसों की तंगी, रिश्तों में अनबन, या किसी प्रियजन को खोना। इससे वे छोटी-छोटी असफलताओं को पचा नहीं पाते। बढ़ता परीक्षाओं में अंकों की होड़ और भविष्य की अनिश्चितता ने युवाओं को निरंतर दबाव में रखा है। खराब खान-पान और व्यायाम न करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है। आधुनिक जीवनशैली में संवाद की कमी और पारिवारिक समर्थन के कमजोर होने से युवा भावनात्मक रूप से अकेले पड़ जाते हैं।

सहनशीलता और मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करें और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने से बचें। प्राणायाम और नियमित व्यायाम मानसिक शांति देते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अपनी भावनाओं को परिवार या दोस्तों के साथ साझा करें। किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में पेशेवर काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लेने में संकोच न करें। युवाओं को यह समझना चाहिए कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया है। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लें, 10 मिनट तक मेडिटेशन करें या सैर पर जाएं। खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी से कलाई धोएं, अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें और किसी करीबी से बात करें। जब भी तनाव महसूस हो, कुछ मिनटों के लिए धीमी और गहरी सांस लें। यह शरीर के नर्वस सिस्टम को शांत करता है। नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे टहलना, योग या कोई भी व्यायाम करने से शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ता है। अपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी परेशानी साझा करें। कई बार किसी के साथ बात करने से ही मन का बोझ हल्का हो जाता है सोने से पहले मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूर रहें ताकि रात को अच्छी नींद आ सके।

आधुनिक मनोविज्ञान के साथ-साथ भारतीय ज्ञान परंपरा (जैसे पतंजलि योग सूत्र) को अपनाने पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। मोबाइल नहीं, बातचीत से बनेगा मजबूत मन। भारत में मानसिक चिकित्सा और उसके अध्ययन की समृद्ध परंपरा रही है, जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। हमें अपने पुराणों को पढ़ना चाहिए उनमें ऐसी अनेक कहानियां है जो हमे प्रेरणा देती है ।

अंत मे संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। स्वयं को आराम देने के लिए कुछ अभ्यास करें। तनाव कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाले व्यायाम करें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। 'तनाव हमें नहीं मारता, बल्कि तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमें मार डालती है।

लोकगीतों की प्रासंगिकता

भारतीय संस्कृति, सामाजिक चेतना और नई पीढ़ी के बीच सेतु

शिवानी चतुर्वेदी
लेखिका

भारतवर्ष विविध संस्कृतियों और सामाजिक परम्पराओं का देश है। न जाने कितनी लोक संस्कृतियां और परंपराएं यहां के जीवन में अनुप्राणित हैं।

यहां की सांस्कृतिक विरासत जितनी विविध है, उतनी ही विशाल और जीवंत भी। यहाँ की नदियां, पर्वत, खेत-खलिहान, ऋतुएं, पर्व-त्योहार, जन्म से लेकर विवाह और विदाई तक जीवन का प्रत्येक पड़ाव संगीत से अनुप्राणित रहा है। इस संगीत की सबसे स्वाभाविक और आत्मीय अभिव्यक्ति हैं - लोकगीत।

कहते हैं कि जब किसी सभ्यता की स्मृतियां शब्दों में गूंजती हैं, तो वे लोकगीत बन जाती हैं।

लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता है। इनमें न तो अलंकारों का प्रदर्शन है और न ही कृत्रिम शब्दाडंबर। इनमें जीवन अपनी सम्पूर्ण सादगी और संवेदना के साथ बोलता है। खेतों में श्रम करते किसान हों, सावन के झूले झूलती युवतियां, माँ की लोरी सुनता शिशु या बेटी की विदाई में छलकती आँखें - हर भावना लोकगीतों में स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होती है। यही कारण है कि लोकगीत सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं।

भारत की लोक संस्कृति और उत्तर भारत में लोक गीतों की परंपरा - भारत की लोक संस्कृति और लोक गीत भारतीय समाज की आत्मा हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में संरक्षित होते रहे हैं। ये शास्त्रीय संगीत के विपरीत आम जनता के संगीत हैं, जिन्हें बिना किसी कठिन साधना के त्योहारों, ऋतुओं और जीवन के संस्कारों के समय गाया जाता है। भारतीय संस्कृति अपनी सामुदायिक भावना के लिए जानी जाती है। चाहे वह पंजाब की लोहड़ी हो, उत्तर भारत की होली हो या बिहार की छठ पूजा, हर उत्सव स्थानीय लोक संगीत और नृत्य के माध्यम से जीवंत हो उठता है। लोकगीत न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि लोगों को अपने इतिहास, विश्वासों और प्रकृति से भी जोड़ते हैं।

उत्तर भारत में लोक गीतों की परंपरा - उत्तर भारत में लोक गीतों को मुख्य रूप से चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैः -

संस्कार गीत : जन्म, मुंडन, और विवाह के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत (जैसे - सोहर, बन्ना-बन्नी और विवाह के गीत)।

ऋतु गीत : मौसम के बदलाव पर गाए जाने वाले गीत (जैसे - सावन में कजरी और मल्हार, बसंत ऋतु में होरी या फाग)।

श्रम या क्रिया गीत : खेतों में बुवाई/कटाई करते समय या चक्की पीसते समय गाए जाने वाले गीत (जैसे - रोपनी और जंतसार के गीत)।

गाथा गीत : ऐतिहासिक वीरों और स्थानीय नायकों की गाथाएं (जैसे - आल्हा, हरदौल, पंडवानी आदि)

सावन और कजरी पर विशेष - चूंकि सावन का महीना है तो मैं आज यहां उत्तर भारत के जिस एक प्रसिद्ध लोकगीत के विषय में बात करना चाहूंगी, वह है कजरी। मल्हार की ही भांति कजरी लोकगीत मुख्य रूप से सावन और वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोकगीत का प्रकार है। ये केवल गीत नहीं, बल्कि हमारी लोकसंस्कृति की धड़कन, समाज का इतिहास और पीढ़ियों की सामूहिक स्मृति है। हमारे इतिहास से कजरी लोक गीत का गहरा भावनात्मक संबंध है। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से गन्ने के बागानों में काम करने के लिए मजदूरों को मॉरीशस, सूरीनाम और फिजी आदि देशों में ले जाया जाता था। इन मजदूरों से एक एग्रीमेंट करवाया जाता था, जिसके कारण इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। इन मजदूरों को मिर्जापुर से जहाज द्वारा ले जाया जाता था।

अपने परिवारों को पीछे छोड़ गए इन मजदूरों की यादें, वियोग और संघर्ष कजरी गीतों के माध्यम से जीवित रहे। मिर्जापुर की कजरी

मुख्य रूप से उन महिलाओं के विरह को बयां करती है जिनके पति समुद्र पार चले गए थे और जिनको यह भी पता नहीं था कि दूसरे देश गए उनके पति वापस आयेंगे भी या नहीं। आज भी ये गीत पीढ़ी-दर-पीढ़ी से पारंपरिक रूप में गाए जाते हैं। ये कजरी गीत केवल प्रेम और विरह के गीत नहीं, बल्कि गुलामी के खिलाफ प्रतिरोध और संघर्ष की आवाज भी हैं। यह मजदूर वर्ग की त्रासदी और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का दस्तावेज है। आज भी उत्तर भारत में कजरी के माध्यम से इन मजदूरों के इतिहास और संघर्षों को याद किया जाता है और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है। ये लोकगीत पीछे छूट गईं महिलाओं में छुपे दर्द की अनकही कहानियों को कहते हैं।

संस्कारों के संवाहक - भारतीय संस्कृति में लोकगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वे समाज के संस्कारों के संवाहक भी रहे हैं। वे हमें सिखाते हैं कि परिवार केवल संबंधों का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, सहयोग और आत्मीयता का विस्तार है। उनमें प्रकृति के प्रति सम्मान, मातृभूमि के प्रति समर्पण, बड़ों के प्रति आदर और जीवन के प्रति आशावाद का संदेश सहज रूप से समाहित रहता है।

सामाजिक उत्थान में योगदान - समाज में जागरूकता लाने में भी लोकगीतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। लोकगायकों ने समय-समय पर सामाजिक कुरीतियों, बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्री असमानता, जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक विसंगतियों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस को जागृत किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकगीतों ने देशभक्ति की अलख जगाई और लोगों में आत्मसम्मान तथा राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। यही लोकशक्ति उनकी सबसे बड़ी पहचान है।

> **लोकगीतों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता है। इनमें न तो अलंकारों का प्रदर्शन है और न ही कृत्रिम शब्दाडंबर। इनमें जीवन अपनी सम्पूर्ण सादगी और संवेदना के साथ बोलता है। खेतों में श्रम करते किसान हों, सावन के झूले झूलती युवतियां, माँ की लोरी सुनता शिशु या बेटी की विदाई में छलकती आँखें - हर भावना लोकगीतों में स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त होती है। यही कारण है कि लोकगीत सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं।**

आज का समय और लोकगीतों की प्रासंगिकता - आज का समय तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्वीकरण का युग है। नई पीढ़ी का अधिकांश समय मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों पर व्यतीत होता है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या लोकगीतों की प्रासंगिकता कम हो गई है? उत्तर है - नहीं, बल्कि पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

जिस समाज की नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट जाती है, उसकी सांस्कृतिक पहचान धीरे-धीरे धूमिल होने लगती है। लोकगीत युवाओं को केवल अतीत से नहीं जोड़ते, बल्कि उन्हें अपनी भाषा, अपनी मिट्टी और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना भी सिखाते हैं। आज आवश्यकता है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, सांस्कृतिक संस्थाओं और पारिवारिक आयोजनों में लोकगीतों को पुनः सम्मानपूर्वक स्थान दिया जाए। जब बच्चे अपनी दादी-नानी से लोरियाँ, कजरी, फाग, सोहर या बन्ना-बन्नी सुनेंगे, तभी वे समझ पाएँगे कि संस्कृति पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन की परंपराओं में बसती है।

डिजिटल युग और लोकगीत - सौभाग्य से डिजिटल युग ने लोकगीतों के संरक्षण के नए द्वार भी खोले हैं। आज अनेक लोक कलाकार सोशल मीडिया और डिजिटल मंचों के माध्यम से अपनी कला को देश-विदेश तक पहुँचा रहे हैं। यदि इन प्रयासों को प्रोत्साहन मिले और लोकगीतों की मौलिकता को सुरक्षित रखा जाए, तो यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

लोकगीतों के संरक्षण की आवश्यकता - लोकगीत हमें यह भी सिखाते हैं कि आधुनिकता और परंपरा परस्पर विरोधी नहीं हैं। आधुनिक जीवन की गति चाहे कितनी भी तेज हो जाए, मन की शांति, अपनत्व और सांस्कृतिक आत्मीयता का स्रोत आज भी हमारी लोकपरंपराएं ही हैं। लोकगीत हमें संवेदनशील बनाते हैं, हमें अपने समाज और अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं और यह स्मरण कराते हैं कि विकास का वास्तविक अर्थ अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना है।

आज आवश्यकता केवल लोकगीत सुनने की नहीं, बल्कि उन्हें जीने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की है। यदि परिवारों में फिर से लोकधुनें गूँजने लगें, यदि विद्यालयों में बच्चे लोकगीतों की प्रतियोगिताओं में भाग लें और यदि समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानपूर्वक अपनाए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तकनीक के साथ-साथ अपनी संस्कृति से भी समृद्ध होंगी। लोकगीत भारत की आत्मा का स्वर हैं। वे अतीत की स्मृति, वर्तमान की चेतना और भविष्य की सांस्कृतिक आशा हैं। इन्हें सहेजना केवल परंपरा का संरक्षण नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने संस्कार और अपनी राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखने का संकल्प है।

"जिस दिन किसी समाज के लोकगीत मौन हो जाते हैं, उसी दिन उसकी सांस्कृतिक स्मृतियां भी धीरे-धीरे धुंधली होने लगती हैं। इसलिए आइए, लोकगीतों को केवल विरासत नहीं, जीवन का उत्सव बनाएँ।"

झूला तो पड़ गए, आंबुआ की डार पे जी

नीलम भागी
लेखिका, जर्नलिस्ट, ब्लॉगर एवं ट्रेवलर

ए जी कोई राधा को, गोपाला बिन राधा को... झुलावे झूला कौन!!

हमारे विशाल भारत में कहीं न कहीं प्रतिदिन उत्सव है और हिंदू धर्म में उत्सव के बारे में प्रचलित कथाएँ उसे और भी लोकमंगलकारी बना देती हैं। श्रावण मास शुरू है। सावन में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। सावन के पहले सोमवार (3, 10,17,24 अगस्त) से शिवभक्त कांवड लेने जा सकते हैं। फिर हरिद्वार या गोमुख से यात्रा आरम्भ होती है। कंधे पर कांवड़, जिसमें गंगा जल होता है और ये यात्रा कांवड़ यात्रा कहलाती है। जो कांवड़ लेने जाते हैं वे भगवा भेष में होते हैं। कोई शिवजी का गण बना होता है। सजा हुआ कावंड उठाए कांवड़िए का एक ही नाम होता है 'भोला'। इस यात्रा में भोले कंघी, तेल, साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मार्ग में कांवड़ को धरती से नहीं छूना है। कांवड़ शिविर में उसे टांगते हैं और आराम करते हैं। यात्रा में इनके आपस में पारिवारिक संबंध भी बन जाते हैं। जो कांवड़ लेने नहीं जाते वे कांवड़ शिविर में सेवा करने जाते हैं। सावन की शिवरात्री (11 अगस्त) को शिवजी का श्री गंगाजल से रूद्राभिषेक किया जाता है। सावन के सोमवार को तो शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।

तेलंगाना का 1 महीने तक चलने वाला बोनालू मुख्य उत्सव (पुराना शहर और लाल दरवाजा हैदराबाद) 2 अगस्त को है। बोनालू का समापन 9 अगस्त को है। इस भव्य उत्सव के दौरान, श्रद्धालु (विशेषकर महिलाएं) पारंपरिक वेशभूषा में सजकर सिर पर बोनम (चावल, गुड़, दूध और दही से भरा कलश) रखकर देवी को अर्पित करते हैं। उत्सव के मुख्य आकर्षणों में पोथुराजु का पारंपरिक नृत्य और भविष्यवाणियों से जुड़ा अनुष्ठान 'रंगम' शामिल हैं। सिंधारा तीज जिसे हरियाली तीज (15 अगस्त) भी कहते हैं। सावन में आने वाले इस त्यौहार में प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ी होती है। इस दिन को भोलेनाथ और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन माना जाता है। यह महिलाओं का उत्सव है। सावन की बौछारों में हरे भरे पेड़ो पर झूले पड़ जाते हैं। कहीं-कहीं यह उत्सव तीन दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन मायके से सिंधारा में घेवर मिठाई, मेहंदी, चूड़ियां आदि सुहाग की चीजे आतीं हैं। दूसरे दिन हरी हरी मेहंदी हाथ पैरों में लगाई जाती है। अगले दिन सौभाग्यवती महिलाएं पकवान बनाती हैं और हरी पोशाक पहने, श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करती हैं।

नाग को हमारे यहां देवता की तरह पूजा जाता है। नागपंचमी (17 अगस्त) पर इनकी पूजा का विशेष दिन होता है। हमारे पूर्वजों ने इनकी पूजा करके हमें बताया है कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। इनको देखते ही मारना नहीं चाहिए। सांपों का मुख्य भोजन चूहे हैं और चूहे अनाज को नष्ट करते हैं। चूहों के मल मूत्र से खतरनाक हन्ता वायरस फैलने का डर रहता है।

गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। इस वर्ष (19 अगस्त) को उनकी जयंती है। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा को घर में रखना शुभ मानते हैं। तुलसी जयंती पर देश भर में संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी (24 अगस्त) मनाई जाएगी। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख-शांति के लिए भगवान विष्णु को समर्पित होता है।

ओणम (26 अगस्त) केरल का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फसल उत्सव, जो दस दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें नौ प्रकार के पारंपरिक व्यंजन (ओणम साड्या), नौका दौड़ (वल्लम कली) और रंग-बिरंगी रंगोलियाँ (पूकक्लम) शामिल हैं। दक्षिण भारत में ओणम केरल का प्राचीन पारंपरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उत्सव हैं, जिसे दुनियाभर में मलयाली समाज मनाता है। 16 अगस्त से शुरु होकर 26 को इसका समापन होगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रत्येक वर्ष राजा महाबलि पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आर्शीवाद देने आते हैं और नई फसल आने की खुशी भी होती है।

वर लक्ष्मी व्रत, नारली पूर्णिमा (28 अगस्त) वरलक्ष्मी व्रतम् दक्षिण भारत (विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में देवी लक्ष्मी की कृपा और धन-धान्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला अत्यंत शुभ व्रत है।

नारली पूर्णिमा महाराष्ट्र, गोआ, केरल, गुजरात सागर तटीय प्रांतों में इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें वर्षा के देवता वरूण की पूजा करके समुद्र से शांत रहने की प्रार्थना करते हैं और समुद्र को नारियल भेट करते हैं। समुद्र की पूजा समुद्र में नौकायन को सुरक्षित बनाने और मौसम के अनुकूल होने की प्रार्थना के साथ समुद्र में नारियल अर्पित किया जाता है। क्योंकि नारियल को भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में पूजा में शामिल किया जाता है और त्योहार के दिन नारियल के पकवान (जैसे नारियल चावल) बनाए जाते है।

बहन की सुरक्षा के लिए भाई की प्रतिबद्धता, भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षा बंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, मसलन भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो सुर्दशन चक्र से उनकी अंगुली पर घाव हो गया था। उनकी अंगुली से रक्त बहता देखकर द्रोपदी ने अपनी साड़ी चीर कर उसका टुकड़ा, उनकी अंगुली पर बांधा था। श्री कृष्ण उनके स्नेह से प्रभावित हुए। जब द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्रीकृष्ण उसकी रक्षा के लिए पहुंचे। तभी से रक्षा बंधन मनाने की परंपरा है। इतिहास में भी कई कहानियां हैं। रक्षा बंधन मनाने के पीछे हमारे पूर्वजों की बहुत प्यारी सोच है। गांव की बेटी, दूसरे गांव में ब्याही जाती है। उसके सुख-दुख की खबर भी रखनी है। माता-पिता सदा तो रहते नहीं हैं। उनके बाद भाई बहन की सुध लेता रहे। इस त्यौहार पर भाई के घर बहन आती है या भाई, बहन के घर राखी बंधवाने जाता है। बहन भाई का यह उत्सव परिवारिक मिलन है। इसे देश-विदेश में रहने वाले समस्त हिन्दू मनाते हैं। पहले राजपुरोहित राजा को रक्षा सूत्र बांधते थे। राजा धर्म और सत्य की रक्षा का संकल्प लेता था। पारिवारिक उत्सव तो है ही, जो चलता आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के कारण समस्त हिन्दू धर्म का प्रत्येक वर्ग, जाति और वर्ण इसे मनाता है। इस पर्व की उत्पत्ति लोक संस्कृति से हुई, जिसमें पारंपरिक रूप से एक जिम्मेदारी का हिस्सा दिया जाता है। जो रक्त से रिश्तेदार नहीं हैं, वे भी आपस में रक्षासूत्र बांधने से स्वैक्षिक संबंधों की परम्परा के सम्मान के प्रतीक के रूप में बंध जाते हैं।

संघ परिवार के साथ परम पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने समस्त हिन्दू समाज में सामजस्य स्थापित करने के लिए इस दिन परम पवित्र भगवा ध्वज पर रक्षा सूत्र बांधकर उस संकल्प का स्मरण करवाया जिसमें कहा गया है कि धर्मो रक्षित रक्षितः अर्थात हम सब मिलकर धर्म की रक्षा करें। समस्त हिन्दू समाज मिलकर, समस्त हिन्दू समाज की रक्षा का संकल्प ले। स्वयंसेवकों ने समस्त हिन्दू धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। इस प्रकार इस सुन्दर स्वरूप के साथ रक्षा बंधन, चौथा संघ उत्सव हो गया। रक्षा बंधन, धर्म का बंधन है जो परिवार को बांधता है और परिवारों से राष्ट्र है।

सबसे श्रेष्ठ संबंध भातृत्व भाव है। इस भावना से स्वयंसेवक किसी भी प्रांत या भाषा के वंचित गरीब परिवारों में जाकर वहां रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। उनके साथ भोजन करते हैं। जो रक्षाबंधन पर रक्षासूत्र बंध गया तो इन परिवारों के संपर्क में रहते हैं। इस उत्सव के द्वारा समाज के वे वर्ग जो हाशिए पर खड़े थे, वे भी मुख्यधारा में आने लगे हैं। यह व्यक्तिगत बहन भाई का उत्सव, संघ के प्रयास से धीरे-धीरे सभी प्रांतों में सामाजिक स्तर पर मनाया जाने लगा है। अब रक्षाबंधन सामाजिक समरसता का प्रतीक है। स्वयंसेवक रक्षासूत्र बांधते समय और बंधवाते समय कभी गरीबी, अमीरी, जाति, प्रांतीयता का मन में भाव नहीं लाते। उड़ीसा में किसान मवेशियों को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं क्योंकि इस दिन खेती के देवता बलभद्र का जन्मदिन है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कजरी पूर्णिमा है तो पंजाब हरियाणा में इसे सलोनो कह कर मनाया जाता है। झारखंड, उत्तराखंड में तो श्रावणी मेला लगता है। देवघर जाने पर मैंने देखा वहां तो भगवा के सिवाय कोई रंग ही नजर नहीं आ रहा था। अब कुछ और भी परिवर्तन होने लगे हैं। आजकल दो बच्चों का, देश-विदेश में नौकरी के कारण एकल परिवार है। कहीं दो बहनें हैं तो कहीं दो भाई हैं। त्यौहार भारतीय संस्कृति की आधारशिला हैं। वो तो मनाया जायेगा ही इसलिए बहन-बहन को, और भाई-भाई को राखी बांधता है और मिलकर पकवान बनाते हैं। इसमें हम पर्यावरण को भी नहीं भूलें हैं इसलिए पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें भी राखी बांधने लगे हैं।

कजरी तीज सोमवार, 31 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 30 अगस्त की सुबह 09:36 बजे शुरू होकर 31 अगस्त की सुबह 08:50 बजे तक रहेगी। यह व्रत अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और पारिवारिक समृद्धि के लिए रखा जाता है

हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता है, सबके योग्य नियमों की लचीली व्यवस्था भी करता है। महानगरों की कामकाजी महिलाएं अपनी व्यवस्थता के कारण और छुट्टी न होने से परिवार में नहीं जा पातीं लेकिन घर में उत्सव जरुर मनाती हैं। जहां तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है, वहां पहुंच कर सखियों से मिलन भी हो जाता है। हरियाली धरती का सौन्दर्य है। उसी से हम सबका जीवन संभव है। और हमारा कर्त्तव्य है कि इसकी हरियाली को बनाये रखें। पेड़ लगाए और जल संचयन करें।

प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा

भू-राजनीति के बदलते भूगोल और नए भारतीय राष्ट्रवाद का शंखनाद

विभाकर झा
पत्रकार, डीडी न्यूज

वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य इस समय अभूतपूर्व हलचलों, गंभीर आघातों और अनिश्चितताओं के एक नए दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहाँ पश्चिमी एशिया में जारी गंभीर संकट और युद्ध के बादलों ने ऊर्जा सुरक्षा, तेल बाजारों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा टैरिफ, आर्थिक संरक्षणवाद और व्यापार नीतियों पर अपनाए जा रहे कड़े रुख ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन की चुनौतियां गहरा दी हैं। दुनिया के दो सबसे संवेदनशील और असरदार मोर्चों पर जारी इस आपाधापी के बीच, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा केवल एक पारंपरिक राजनयिक दौरा नहीं है। यह आधुनिक भारत के स्वाभिमानी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और 'रणनीतिक स्वायत्तता' की भावना का एक स्पष्ट और सशक्त प्रदर्शन है।

प्रधानमंत्री की यह तीन दिवसीय यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और हालिया 'महासागर' दृष्टिकोण को धरातल पर उतारने का एक साहसिक राष्ट्रीय प्रयास है। इस यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया रहा, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र का एक विशाल इस्लामी बहुल देश और भारत का समुद्री पड़ोसी है। जकार्ता में द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान रक्षा, नौसैनिक सुरक्षा और समुद्री व्यापार को मजबूत करने पर बल दिया गया। सबसे उल्लेखनीय कदम दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के ढांचे को आगे बढ़ाना रहा। वैश्विक स्तर पर जब अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व और उस पर निर्भरता विकासशील देशों के लिए आर्थिक जोखिम बन रही है, तब अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना आर्थिक राष्ट्रोदय और मौद्रिक संप्रभुता की दिशा में एक साहसिक कदम है। इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत और

रामायण, महाभारत जैसी सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने इसी सांस्कृतिक शक्ति को आधुनिक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का काम किया है। जकार्ता में प्राम्बनन मंदिर परिसर के संरक्षण का संकल्प यह दर्शाता है कि भारत अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बीच अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को कभी नहीं भूलता।

सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की इस सुदृढ़ नींव को सामरिक मजबूती देने का काम ऑस्ट्रेलिया की यात्रा ने किया, जिसने क्वाड के संकल्पों को एक नई ऊर्जा प्रदान की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी केवल दो देशों का मिलन नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रखर रूप है जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के वैश्विक एकाधिकार की रीढ़ तोड़ रहा है। आज भारत अपनी आत्मनिर्भरता की रक्षा के लिए वैश्विक गठबंधनों का न केवल हिस्सा बन रहा है, बल्कि उनका नेतृत्व भी कर रहा है।

इसी कूटनीतिक सफलता की गवाही प्रशांत महासागर के सुदूर कोने से भी आई, जहां चार दशकों के रणनीतिक ठहराव को तोड़ते हुए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक महान भू राजनीतिक महाशक्ति और हिंद प्रशांत का सबसे अहम साझेदार बनकर उभरा है। न्यूजीलैंड के साथ हुए नए रक्षा और व्यापारिक समझौतों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब हर उस मंच और देश तक अपनी पहुंच बना रहा है जहां राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। ऑकलैंड में हुई बैठकों ने यह संदेश दिया कि भारत अब दुनिया के किसी भी हिस्से को अपनी कूटनीतिक पहुँच से बाहर नहीं मानता। न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, कृषि-प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलना यह दिखाता है कि भारत वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में कितना तत्पर है। इतने लंबे समय बाद किसी देश के साथ शीर्ष स्तर के संबंधों को पुनर्जीवित करना भारत की महत्वाकांक्षी और मुखर विदेश नीति का परिचायक है। जाहिर है नया भारतीय राष्ट्रवाद अब केवल खोखली भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की आंतरिक और बाह्य क्षमता को बढ़ाने का एक ठोस संकल्प है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उपकरणों का रिकॉर्ड निर्यात इसी सोच का परिणाम है।

जाहिर है भारतीय राष्ट्रवाद 'वसुधैव कुटुंबकम्' की प्राचीन भावना से अनुप्राणित एक 'सशक्त राष्ट्रवाद' है, जो वैश्विक मंचों पर भारत की छवि एक जिम्मेदार और सर्वमान्य 'विश्वबंधु' के रूप में गढ़ता है। अमेरिका में बढ़ती संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों के जवाब में भारत ने अपनी व्यापारिक दिशाओं को मोड़कर यह संदेश दिया है कि भारतीय बाजार और भारतीय उद्योग किसी के फैसलों के मोहताज नहीं हैं। भारत अपनी व्यापार शर्तों को खुद तय करने में सक्षम है। इसके साथ ही इंडोनेशिया में ऐतिहासिक सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को सम्मानित करना यह दर्शाता है कि भारत अपनी महान सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास को अपनी आधुनिक विदेश नीति का एक शक्तिशाली उपकरण मानता है। इस पूरी यात्रा के दौरान जकार्ता, मेलबर्न और ऑकलैंड में जिस अभूतपूर्व उत्साह के साथ विशाल भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उसने भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रनिष्ठा को एक नया आयाम दिया है। वैश्विक स्तर पर भारत का यह बढ़ता प्रभाव केवल विदेश नीति की सफलता नहीं, बल्कि उस गौरवशाली राष्ट्र का उदय है जो अपनी विरासत पर गर्व करता है और भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका

पूनम भटनागर
लेखिका

भारत एक विकासशील देश है, जो विकसित भारत बनने के लिए प्रयासरत है और विकसित भारत की श्रेणी में अग्रणी है। किसी भी देश को विकसित होने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं के दौर से गुजरना पड़ता है। सरकारी नीतियों से लेकर हर एक नागरिक के प्रयासों में कड़े बदलाव करने पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता होती है।

- शिक्षा और नवाचार रखने वाली पद्धति की जगह प्रायोगिक पद्धति को अपनाना।
- साइंस और मेडिकल के क्षेत्र में नये प्रयोग करना। अविष्कार के लिए बजट बढ़ाना।
- अपने देश में रोजगार बढ़ाना। नये अवसर देना व युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।
- नये नये स्टार्ट अप के लिए लोन प्रो वाइड कराना।
- कनेकटिविटी के लिए बंदरगाह, रेलवे तथा सड़क मार्गों नये एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण करना।
- गांव तथा शहरों में 24 घंटे बिजली, पानी की सुविधाएं देना।
- हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करवाना।
- सवासथय के लिए चिकित्सा संबंधी केन्द्र पर मुफ्त दवाएं व लिए दिलवाना।
- सामाजिक क्षेत्र में बराबरी के लिए महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार देना।
- सुशासन और नागरिक कर्तव्य में लेना देना को डिजिटल और पारदर्शी रखवा कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
- नागरिक अपना टैक्स ठीक से व टाइम पर जमा कर रहे हैं इस की जानकारी रखना।
- कानूनी सहायता लोगों तक पहुंच रही है, इस पर भी नजर रखना।

पर ये सब कामों में युवाओं की भूमिका क्या हो और उनकी जरूरत क्यों है, यह जानना भी जरूरी है। युवाओं को विकास के क्षेत्र में जोड़कर किसी भी राष्ट्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी में 15 से 29 वर्ष की आबादी ही अधिक है। और युवा एक आयु नहीं बल्कि आबादी का जीवंत और सशक्त हिस्सा है। यह नये-नये आयडिया देकर काम को पूरा करने में भी बेजोड़ हिम्मत रखता है।

स्वामी विवेकानन्द देश के विकास में युवाओं को एक मजबूत स्तंभ मानते थे। वे कहते थे कि युवा अपने साहसिक कदम, व उर्जा को मिलाकर काम करें तो देस प्रगति की नई राह पकड़ सकता है। उनका युवाओं के लिए संदेश था, कि उठो, जागो और तब तक कार्य में सहयोग करो, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। वह कहते थे कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान भी अर्जित करो, शरीर फौलाद की तरह मजबूत बनाओ। कुछ और भी उदाहरण हैं जिनसे युवाओं का योगदान किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है।

1. इसके लिए युवा केवल रोजगार प्राप्त करने वाले न हो कर रोजगार निर्माता भी बने। जैसे श्रीकांत जन्म से नेत्रहीन थे। लोगों के उपहास उडाने पर भी वह अमरीका के Mit विश्विविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आये और यहां बोलेनट इंडस्ट्री नाम से कंपनी शुरू की। ये गन्ने के कचरे और रीसाइक्लिंग पेपर से पैकेजिंग उत्पाद में मदद कर पर्यावरण के क्षेत्र में मदद करती है। इसके साथ ही अनेक दिवयांगो को काम देकर रोजगार के क्षेत्र में मदद कर रहे हैं।

- युवा पीढ़ी ई कामर्स, फिनटेक तथा नयी तकनीक का इस्तेमाल कर नये क्षेत्रों को उपलब्ध करा सकती है।
- युवा ए आई, नयी तकनीक, कोडिंग, उन्नत तकनीक का प्रयोग कर नये प्रयोग कर सकती है। ए आई तकनीक आज कल जोर पर है व नित नए प्रयोग कर रही है।
- कुप्रथाओं व समाज में व्याप्त भेदभाव को रोक सकते हैं। 19वीं शताब्दी में सावित्री बाई फुले ने शिक्षा अभियान में मदद की। वह पढ़ाने जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों में शिक्षा प्रसार किया। ज्योतिराव ने बाल विवाह का विरोध किया व जातिगत भेदभाव को कम किया।

तो इस तरह एक विकसित राष्ट्र में युवाओं की भूमिका काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि देश का विकास युवाओं की उर्जा, साहस वीरता, व उन्नत सोच से देश को विकसित करते हुए कई कदम आगे ले जाते हैं युवा पीढ़ी के विकास को कविता की इन पंक्तियों में इस तरह कलमबद्ध किया जा सकता है -

युवा शक्ति संचित करो, मन में रहे विचार,
भारत तब विकसित बने, युवा जिसके आधार,
हौसला जिनमें पुरजोर हो, कर्म शक्ति अपरम्पार,
हो विकास फिर असीमित, रहें न कोई भूखा,
न कोई अशिक्षित, नगण्य हो जाए बेरोजगारी,
हर हाथ करें फिर काम।

SURYA
हर पल बढ़ती ज़िंदगी के साथ
घर हो या ऑफिस, बड़े प्रोजेक्ट से लेकर सार्वजनिक जगहों तक, सूर्या के प्रोडक्ट्स आज हर किसी की ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज व्यवसाय को बेहतर चलाने एवं शहरों के विकास में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रही है। व्यावहारिक, भरोसेमंद और विश्वसनीय, सूर्या बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है।
PRAKASH
SURYA
SURYA HAI TOH BHAROSA HAI
Lighting | Wires and Cables | Professional Lighting | Fans | Appliances | Water Pumps | PVC and Water Tanks | Steel Pipes
I am SURYA
50+ YEARS OF TRUST
DURABLE PRODUCTS
ASSURED QUALITY
SURYA ROSHNI LIMITED | consumercare@surya.in | www.surya.co.in |
TOLL FREE 1800 102 5657

RNI No. : UPHIN/2023/84344 Postal Reg No. : DL (DS)-61/MP/2026-27-28

प्रेरणा विमर्श 2026

19 एवं 20 सितम्बर 2026

उत्कर्ष : नारी सम्मान, युवा स्वाभिमान

नारी शक्ति राष्ट्र वंदन यज्ञ

शनिवार, 19 सितम्बर, 2026

वैचारिक मंथन

रविवार, 20 सितम्बर, 2026

विशेष वर्ग	युवा सोच, नया भारत
1. उद्यमी	1. मीडिया शिक्षक
2. समाज सेवी	2. मीडिया विद्यार्थी
3. प्रोफेशनल	3. महाविद्यालीय शिक्षक
4. पत्रकार	4. महाविद्यालीय विद्यार्थी
5. कला संस्कृति	5. लॉ कॉलेज शिक्षक एवं विद्यार्थी
6. साहित्यकार	6. शोधार्थी
7. पंच परिवर्तन	7. प्रोफेशनल कॉलेज शिक्षक एवं विद्यार्थी
8. लेखक	8. चित्र भारती फिल्म आयोजन
9. इन्फ्लुएंसर्स	

समापन समारोह

रविवार, 20 सितम्बर, 2026

कार्यक्रम स्थान : गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा